



विवरणिका

2026-27



उत्तराखण्डसंस्कृतविश्वविद्यालयः

दिल्ली-राष्ट्रीय-राजमार्गः

पत्रालयः बहादुराबादः, हरिद्वारम्-249402

E-mail : registrar@usvv.ac.in, Website : www.usvv.ac.in



श्रीमन्तो ले. जनरल (से.नि.) गुरमीतसिंहमहोदयः
माननीयः कुलाधिपतिः उत्तराखण्डप्रदेशस्य राज्यपालपुत्र



श्रीपुष्करसिंहधामी
मा० मुख्यमंत्री



डॉ. धनसिंहरावतः
मा. संस्कृतशिक्षामन्त्री



प्रो.रमाकान्तपाण्डेयः
कुलपतिः



श्रीलखेन्द्रगौथियालः
वित्तनियन्त्रकः



श्रीदिनेशकुमारः
कुलसचिवः



विवरणिका

सत्रम् 2026-27

प्रकाशकः

कुलसचिवः

उत्तराखण्डसंस्कृतविश्वविद्यालयः, हरिद्वारम्

मूल्यम् : 100 रूप्यकाणि

उत्तराखण्डसंस्कृतविश्वविद्यालयः, हरिद्वारम्

हरिद्वार-दिल्लीराष्ट्रियराजमार्गः

पत्रालयः- बहादुराबादम्, हरिद्वारम्

पिनसंख्या-249402

जालपुटम् www.usvv.ac.in

उत्तराखण्डसंस्कृतविश्वविद्यालयः, हरिद्वारम्

कुलगीतम्

यथा देवभूम्युद्भवा दिव्यगङ्गा,
सुधाधारया लोकमेतं पृणाति।
तथा मोदयन् विद्यया विश्वमेतत्,
सदा विश्वविद्यालयोऽयं विभाति॥1॥

स्वदेशीयभाषासुवेषाद्युपेतं,
निजं संस्कृतं संस्कृतिं सेवमानः।
स्वसत्कर्मभिः सर्वकल्याणकारी,
सदा विश्वविद्यालयोऽयं विभाति॥3॥

सदा भावयन् विश्वबन्धुत्वभावं
किरन्नद्वयस्नेहसिक्तस्वभावम्।
प्रणाश्य प्रजादुःखदारिद्र्यदावं,
सदा विश्वविद्यालयोऽयं विभाति॥5॥

यशोवीरतापौरुषाद्यर्थमत्र
प्रजाः प्रेरयन् दुर्गुणानां कृशानुः।
हृदा भारतीयत्वसम्पादकश्च,
सदा विश्वविद्यालयोऽयं विभाति॥7॥

ऋषीणां मुनीनां सुराणां कवीनां,
सतां साधनाद्यैः पवित्रात्मनां च।
सुरक्षन्नमूल्यं निधिं धीधनानां,
सदा विश्वविद्यालयोऽयं विभाति॥2॥

कलाज्ञानविज्ञानविद्याविभूति-
प्रवाहप्रतानैकनिष्ठो वरिष्ठः।
समारूढसन्मार्ग-शिष्टानुयायी,
सदा विश्वविद्यालयोऽयं विभाति॥4॥

दृढं खण्डयन् चण्डपाखण्डभाण्डं
समुद्घाटयन् शाश्वतं सत्यतत्त्वम्।
स्वभानाभया भासयन् भव्यभानुः,
सदा विश्वविद्यालयोऽयं विभाति॥6॥

मदद्वेषरागादिरूपान्धकारे,
नवीनां दिशां दर्शयन्नात्मदृष्ट्या।
सुरम्योत्तराखण्डमायापुरीस्थः,
सदा विश्वविद्यालयोऽयं विभाति॥8॥



सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 21 अप्रैल, 2005 ई०

वैशाख 01, 1027 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 486/ विधायी एवं संसदीय कार्य/2005

देहरादून, 21 अप्रैल, 2005

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2005 पर श्री राज्यपाल ने दिनांक 20-04-2005 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 17, सन् 2005 के रूप में सर्वसाधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2005

(अधिनियम सं० 17, वर्ष 2005)

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में उत्तरांचल विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1-(1) यह अधिनियम उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम,.....संक्षिप्त नाम 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2005.....एवं प्रधान कहा जायेगा।

(2) यह उस तारीख.....

मूल अधिनियम

2- उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, या संशोधन 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001), जिसे यहां मूल अधिनियम कहा गया है, में जहां-जहां "सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय" शब्द आते हैं, वहां उन शब्दों के स्थान पर "उत्तरांचल संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार" शब्द रखे जायेंगे।

आज्ञा से,
आई० जे० मल्होत्रा,
प्रमुख सचिव

No, 488/Vidhayee & Sansadiya karya/2005

Dated Dehradun, april 21, 2005

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the India the Governor is pleased to order the publication of the following English of The Uttaranchal (The Uttar Pradesh State University Act, 1973)(Adaptation and Modification Order, 2001)(third Amendment)Bill, 2005 (Uttaranchal Adhinlyam Sankhya 17 of 2005).

As passed by the Uttaranchal Legislative and assented and assented to by the Governor on 20-04-2005.

THE UTTARANCHAL (THE UTTAR PRADESH STATE UNIVERCITY ACT, 1073)(ADAPTATION AND MODIFICATION ORDER, 2001)(THIRD AMENDMENT)

ACT, 2005

(Act no. 17 of 2005)

Further to amend the Uttaranchal (The Uttar Pradesh State University Act, 1973) (Adaptation and Modification Order, 2001)

AN

ACT

Be it enacted by the state Assembly of Uttaranchal in the Fifty-sixth year of the Republic of India as follows:-

Short Uue &

1- (1) This Act may be the called The Uttaranchal (The Uttar Commencement Pradesh State University Act, 1973)(Adaptation and Modification Order, 2001)(third Amendment)Bill, 2005 (Uttaranchal Adhinlyam Sankhya 17 of 2005).

2- It shall come into force on such date as the State date as the State Government may, b notification in the official Gazette appoint.

Amendment

2- In The Uttaranchal (The Uttar Commencement Pradesh State University Act, 1973)(Adaptation and Modification Order, 2001), herein after referred to as principal Ac Wherever the expression "Sampurnanand Sanskrit University" occurs, the word Uttaranchal Sanskrit University, Haridwar shall be substituted.

By. Order,
I.J. MALHORA
Principal Secreter

वी०एस०यू० (आर०ई०)१८ विधायी / 158-2006-83+300 (कम्प्यूटर/कीजिपी)।

No.F. 9-6/2006 (cpp-1)

Notification

A new University named as Uttarakhand Sanskrit University, Haridwar has been established by Acet No. 486/ Vidhi and Sansadiya karya 2005. Dehradun. Dated 21-4-2005 of State Government of Uttarakhand and notification through the State Gazette vide Notification on No. 727/11-2005-13(05)/03 dated 24th October, 2005. The said university has been included in the list of universities maintained by the University Grants Commission. Section-2(1) of the UGC Act, 1956.

However, the above University, shall not be eligible to receive any assistance from University Grants Commission and any other source funded by the Government of India. The University is declared fit to receive central assistance under Section 12 (B) of UGC Act, 1956.

(C.K)
Deputy Secretary

Copy to:-

- 1- The Vice-Chancellor, Higher Education Sanskrit University, Haridwar-249401 (Uttarakhand)
- 2- The Secretary, Government of India Ministry of Human Resource Development (Department of Secondary & Higher Education), Shastri Bhavan, New Delhi-110001.
- 3- The Secretary Higher Education, Higher Education Dehradun.
- 4- The Secretary General, Assessment of India University, 16 Kotla Marg New Delhi- 110002.
- 5- Director. (NASS) National Assessment and Accreditation Council (NASS) Bangalore- 560010
- 6- The Director Medical Council of India, Kotla Road New Delhi- 110002.
- 7- The Secretary Union Public Service Commission, Shahajahan Road New Delhi- 110001.
- 8- The Joint Secretary. (SU) UGC, New Delhi.
- 9- Senior Statistical Officer, UGC, 35 Ferozshah Road New Delhi- 110001.
- 10- Publication Officer. (Web-site), UGC, New Delhi.
- 11- Section Officer (Meeting Section), UGC, New Delhi.
- 12- All Regional Officer, UGC, New Delhi.
- 13- All Section of the UGC, New Delhi.
- 14- D.P.T. Cell, UGC, New Delhi.
- 15- Guard file.
- 16- F. 9-4/2004 (CPP-I).

(Mrs. Urmil Galati)
Under Secretary

विषयानुक्रमणिका

क्रम	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	विश्वविद्यालय का परिचय	05
2.	वेद एवं पौराहित्य विभाग	9
3.	व्याकरण विभाग	9
4.	ज्योतिष विभाग	10
5.	साहित्य विभाग	11
6.	शिक्षाशास्त्र विभाग	12
7.	योगविज्ञान विभाग	13
8.	भाषा एवं आधुनिक ज्ञान विज्ञान विभाग	14
9.	पत्रकारिता विभाग	17
10.	राष्ट्रीय सेवा योजना	18
11.	उद्देश्य	19
12.	संचालन संरचना व विश्वविद्यालय के प्रमुख कार्य	20
13.	भावी योजना व कार्यकारी संरचना	21
14.	विभागों का परिचय	23
15.	महत्त्वपूर्ण तिथियाँ	25
16.	प्रवेश-नियम	26
17.	प्रवेश के लिए अपेक्षित प्रमाण पत्र	29
18.	प्रतीक्षकों का प्रवेश एवं विशेष सूचना एवं वर्तमान सत्र से लागू पाठ्यक्रम (NEP 2020)	30
19.	संचालित पाठ्यक्रम एवं शुल्क विवरण	31
20.	सुरक्षित धनराशि और आचार संहिता	43
21.	छात्र कल्याणपरिषद् एवं परिधान	43
22.	अनुशासन और आचार संहिता	44
23.	रैगिंग निषेध	45
24.	उपस्थिति और अवकाश सम्बन्धी नियम	47
25.	छात्रवृत्ति एवं दिव्यांग/आकस्मिक दुर्घटना में घायल छात्रों के लिए लेखक व्यवस्था	48
26.	पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप	49
27.	छात्रों को प्रदेय सुविधाएँ	51
28.	सम्बद्ध महाविद्यालयों की सूची	53
29.	अधिकारी एवं समूह 'ग' एवं 'घ' कर्मचारियों की सूची	56
30.	शास्त्री प्रवेश परीक्षा संशोधित नियमावली 2020-21	58
31.	शास्त्री प्रवेश परीक्षा पाठ्यक्रम	59
32.	संलग्न- 1. शास्त्री प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र, 2. प्रवेश प्रार्थना पत्र, 3. परिचय पत्र, 4. एण्टी रैगिंग शपथ पत्र, 5. राष्ट्रीय सेवा योजना आवेदन पत्र	

नोट : विवरणिका में किसी भी प्रकार की विसंगति पायी जाने पर विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य होगा।

विश्वविद्यालयपरिचयः

सुविदितमेवास्ति सरस्वतीसमाराधनतत्पराणां धीमतां यद् विविधभाषाविभूषितोऽयं भारतदेशः विश्वस्मिन् मुकुटमणिरिव राराजते। भारतीया संस्कृतिरपि सर्वश्रेष्ठेति सुप्रसिद्धमेव धरणीतलेऽस्मिन्। भारतभूमिरियं मोक्षदायिनी, तोषदायिनी, सर्वकामप्रसविनी च वर्तते। अस्यां भुवि एव मन्त्रद्रष्टारः ऋषयो महर्षयो बभूवुः। महर्षिवाल्मीकिना संस्कृतभाषायां विरचितमादिकाव्यं रामायणं को न जानाति? अस्याः मातृभूमेः गौरवं महत्त्वञ्च वेदेषु, पुराणेषु, महाकाव्येषु, नाटकेषु च सर्वत्र प्रतिपादितमस्ति।

विश्ववारा सा भारतीयैव संस्कृतिः यत्रोद्घोष्यते-मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव, अतिथिदेवो भवेति। अत्र भाष्यन्ते विविधाः भाषाः। भोजने, वेषे भाषासु च वैविध्ये सत्यपि परस्परम् एकता भ्रातृत्वभावना च भारतदेशस्य विलक्षणं वैशिष्ट्यम् अस्ति। अस्यां भूमौ मनुष्यजन्म सुरत्वादपि समधिकं मन्यते, उक्तञ्च।

गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारतभूमिभागे।

स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूता भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्॥

भारतस्योत्तरस्यां दिशि 'उत्तराखण्डम्' अभिनवप्रदेशरूपेणाभिज्ञायते। असौ हि भूभागः प्राचीनकालादेव जपतपःसाधनाधिक्येन बदरी-केदार-गङ्गोत्री-यमुनोत्री-अलकनन्दा-पञ्चप्रयाग-नन्दादेवी-वाराही-जागेश्वर-बागेश्वरप्रभृतिनैकविधतीर्थाश्रयत्वेन च परमपावनत्वेन सुप्रतिष्ठितो वर्तते। एतेषां दर्शनमात्रेणैव सकलपातकोपपातकानाम् आत्यन्तिकं प्रशमनं भवतीति अनुभावाधारितो विश्वासोऽस्ति मनीषिणाम्।

को वा न विजानाति भारतस्योत्तरस्यां दिशि देवभूम्या उत्तराखण्डस्य प्रथितं नाम। महर्षिबादरायणो वेदव्यासः अस्मिन्नेवोत्तराखण्डे पुराणानि प्रणीतवान्। इदं हि राज्यं पुराणानां रचनास्थली, अध्यात्मभूमिः, गङ्गायमुनादिनदीनामुद्गमस्थली, कवीनां च कवितास्थलीरूपेण सुविख्यातं विद्यते। अत्र सुशोभते राज्यस्य मुकुटमणिरिव नगाधिराजो हिमालयः, यस्य वैशिष्ट्यं वर्णयता कविकुलगुरुणा कालिदासेनोक्तम्-

अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः।

पूर्वापरौ तोयनिधी वगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः॥

भारतस्य प्रतिष्ठायाः कारणं तावत् विश्ववन्द्या भारतीया संस्कृतिः संस्कृतभाषा च वर्तते, नास्त्यत्र मनागपि सन्देहावसरः। संस्कृतं न केवलं भारतस्य प्रत्युत विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा देवभाषापदेनापि व्यवहियते। समुदीरितञ्च- भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। संस्कृतभाषाविषये महाभारतीयं सुभाषितमिदं प्रसिद्धम्-

अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा।

आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः॥

इदं विज्ञायापि भवन्तो नूनममन्दानन्दसन्दोहमनुभविष्यन्ति यदुत्तराखण्डराज्यस्य द्वितीया राजभाषा संस्कृतभाषा वरीवर्ति। उत्तराखण्डराज्यं निखिलेऽपि भूमण्डले प्रथमम् एतादृशं राज्यं, यस्य राज्यस्य द्वितीया राजभाषा देववाणी वर्तते। न केवलमेतावदेव प्रत्युत राज्येऽस्मिन् द्वौ संस्कृतग्रामौ अपि वर्तते। तयोरेकः भन्तोला, कुमाऊँमण्डलस्य

बागेश्वरजनपदे विलसति, द्वितीयश्च 'किमोठेति' गढवालमण्डले वर्तते। हरिद्वारनगरी ऋषिकेशश्च संस्कृतनगररूपेण समुद्घोषितौ स्तः।

अस्याः देवगिरः प्रचार-प्रसाराय, भारतीय-संस्कृतेः संरक्षणाय च केदारखण्डपुराणे मायापुरीनाम्ना प्रसिद्धेऽस्मिन् हरिद्वारे उत्तराखण्डशासनेन 'अधिसूचकाङ्केन 486/विधायी एवं संसदीयकार्यक्रमः/2005 देहरादूनम्, 21 अप्रैल 2005 इति ईशवीयवर्षे 'उत्तराखण्डसंस्कृतविश्वविद्यालयोऽयं संस्थापितः। ततः प्रभृति सततं संस्कृतभाषायाः समुन्नत्यै प्रयतमानोऽयं विश्वविद्यालयः अनुदिनमेधमानो विराजते।

अनेन उत्तराखण्डसंस्कृतविश्वविद्यालयेन प्रारम्भत एव सम्बद्धाः षट्चत्वारिंशत्(46) संख्याकाः पारम्परिकाः संस्कृतमहाविद्यालयाः प्रदेशस्य प्रमुखेषु विभिन्नेषु जोशीमठ-गुप्तकाशी-उत्तरकाशी-श्रीनगर-हल्द्वानी-देवीधुराप्रभृतिषु तपःपूतेषु स्थलेषु भारतस्य प्रथमराष्ट्रपतिप्रमुखैः महापुरुषैः संस्थापिताः विराजन्ते।

एवमेव एकादश(11) संख्याकाः आधुनिकाः महाविद्यालयाः अपि अनेन विश्वविद्यालयेन सम्बद्धाः कौशलविकासपराणां व्यावसायिकपाठ्यक्रमाणां तावदध्ययनाध्यापनमुखेन प्रचारणे प्रसारणे च अनवरतं निरताः राजन्ते।

विश्वविद्यालयानुदानायोगनिर्देशाधारेण मानवसंसाधनविकासमन्त्रालयसत्प्रेरणया च अत्रत्याः शिक्षकाः 'स्वयम्' मूक-माध्यमेन ऑनलाइनपाठ्यक्रमनिर्माणप्रक्रियायां सक्रियां भूमिकां निर्वहन्तः संस्कृतसाहित्यस्य व्याकरणन्यायादिशास्त्राणाञ्च आधुनिकपद्धत्यापि प्रशिक्षणे संसिद्धाः नूनं स्तुत्याः सन्ति।

एवं विधैः गुणवत्तापूर्णैः शैक्षणिककार्यैः अनुदिनं विश्वविद्यालयं सत्सङ्कल्पमहिम्ना शैक्षणिकविकासराजमार्गे समानयन्तः अत्रत्या अध्यापकाः, छात्राः, कर्मचारिणः अधिकारिणश्च नूनम् सर्वोच्चश्रेण्याम् अस्य विश्वविद्यालयस्य संस्थापनेऽपि साफल्यम् अवाप्स्यन्त्येव।

एतावता पुराण-नवशिक्षणक्रमयोः विवेचनपुरस्सरं सुपरीक्ष्य सन्मार्गे प्रवर्तमानोऽयं संस्कृतविश्वविद्यालयः कविकुलगुरुकालिदासरीत्या नूनं सतां विदुषां बुद्धिमतां समवायः-

पुराणमित्येव न साधु सर्वं न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम्।

सन्तः परीक्ष्यान्यतरद् भजन्ते मूढः परप्रत्ययनेयबुद्धिः॥

विश्वविद्यालय का परिचय

सरस्वती की समाराधना में तत्पर विद्वानों को सुविदित ही है कि विविध भाषाओं से विभूषित यह भारत देश सम्पूर्ण विश्व में मुकुटमणि के समान सुशोभित हो रहा है। इस धरातल पर भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है, यह सुप्रसिद्ध है। यह भारत भूमि मोक्षदायिनी, तोषदायिनी तथा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इसी भूमि में मन्त्रद्रष्टा ऋषि-महर्षि हुए। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा देववाणी में विरचित आदिकाव्य 'रामायण' को कौन नहीं जानता? अर्थात् सभी जानते हैं। इस मातृभूमि का गौरव एवं महत्त्व वेदों, पुराणों, महाकाव्यों, नाटकों में सर्वत्र वर्णित है।

इसी विश्ववार भारतीय संस्कृति का उद्घोष 'मातृ देवो भव', 'पितृ देवो भव', 'आचार्य देवो भव', 'अतिथि देवो भव' आदि स्वरूप में, सभी दिशाओं में गुञ्जायमान होता रहता है। यहाँ पर अनेक प्रकार की भाषाएँ बोली जाती हैं, परन्तु आहार, वेषभूषा एवं भाषा में अनेकता होने पर भी परस्पर एकता का स्वर तथा भ्रातृभाव भारत देश की विलक्षणता से भरपूर विशेषता को प्रकाशित करता है। इस भारतभूमि में देवता भी मनुष्य योनि प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं। कहा भी गया है—

गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारतभूमिभागे।

स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूता भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्॥

भारत के उत्तर दिग्भाग में 'उत्तराखण्ड' एक अभिनव प्रदेश के रूप में स्थित है। प्राचीन काल से ही जप-तप की साधना से अभिभूत होते हुए बदरी, केदार, गङ्गोत्री, यमुनोत्री, अलकनन्दा, पञ्चप्रयाग, नन्दादेवी, वाराही, जागेश्वर, बागेश्वर आदि अनेक तीर्थों के रूप में परम पवित्र यह भूभाग सुशोभित है। विद्वानों का अभिमत है कि इनके दर्शन मात्र से ही निश्चित रूप में समस्त पापों का नाश होता है।

कौन नहीं जानता, भारत की उत्तर दिशा में स्थित देवभूमि उत्तराखण्ड को? महर्षि वादरायण वेदव्यास ने इसी देवभूमि में पुराणों की संरचना की। यही राज्य पुराणों की रचना स्थली, वीरों की अध्यात्मभूमि, गंगा-यमुना आदि नदियों की उद्गमस्थली, कवियों की कवितास्थली के रूप में सुविख्यात है। पर्वतों का राजा हिमालय मुकुटमणि के समान इस राज्य की शोभा बढ़ा रहा है। इसकी विशेषता का वर्णन करते हुए कविकुलगुरु कालिदास ने अपने हृदयोद्गार व्यक्त करते हुए कहा है -

अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः।

पूर्वापरौ तोयनिधी वगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः॥

भारत की प्रतिष्ठा का मूल, विश्व वन्दनीय भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा भारत की ही नहीं, अपितु सम्पूर्ण विश्व की प्राचीनतम भाषा है। संस्कृत भाषा देव भाषा के रूप में भी जानी जाती है। कहा भी है कि - “**भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा।**” संस्कृत भाषा के विषय में यह सुभाषित अत्यन्त प्रसिद्ध है—

अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा।

आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः॥

यह जानकर आप निश्चित ही अत्यन्त आनन्द का अनुभव करेंगे कि उत्तराखण्ड की द्वितीय राजभाषा संस्कृत है। सम्पूर्ण विश्व में उत्तराखण्ड ऐसा प्रथम राज्य बन गया है जिसकी द्वितीय राजभाषा संस्कृत है। इतना ही नहीं इस राज्य में दो संस्कृत ग्राम भी हैं। एक 'भन्तोला' कुमाऊँ मण्डल के बागेश्वर जनपद में स्थित है तथा द्वितीय 'किमोठा' गढ़वाल मण्डल के चमोली जनपद में अवस्थित है। हरिद्वार व ऋषिकेश को संस्कृत नगरी के रूप में भी घोषित किया गया है। प्रदेश -शासन की इन उद्घोषणाओं एवं संस्कृतानुराग से उत्तराखण्ड में संस्कृत का अद्वितीय स्थान एवं देवभाषा के रूप में देवभूमि में महत्त्व सहज ही समझा जा सकता है।

संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार एवं भारतीय संस्कृति के संरक्षण के पुनीत उद्देश्य को पूर्ण करने की दृष्टि से ही

केदारखण्ड पुराण में मायापुरी नाम से प्रथित हरिद्वार नगरी में उत्तराखण्ड शासन के द्वारा 'अधिसूचना 486/विधायी एवं संसदीय कार्यक्रम/2005 देहरादून', 21 अप्रैल 2005 ई0 में यह उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। संस्कृत भाषा एवं संस्कृत भाषा में निबद्ध शास्त्रों के समुन्नयन एवं संरक्षण के लिए अपने स्थापना काल से ही यह विश्वविद्यालय अनवरत प्रयत्नशील है।

इस उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय से सम्बद्ध 46 पारम्परिक संस्कृत महाविद्यालय प्रदेश के जोशीमठ-गुप्तकाशी-उत्तरकाशी-श्रीनगर-हल्द्वानी-देवीधुरा आदि तपःपूत स्थलों पर विराजमान हैं। जिनकी स्थापना भारत के प्रथम राष्ट्रपति प्रमुख महापुरुषों द्वारा की गयी है।

इसी प्रकार 11 आधुनिक महाविद्यालय भी इसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हैं जो कौशल विकासपरक व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अध्ययन-अध्यापन द्वारा प्रचार प्रसार में निरन्तर लगे हुए हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सम्प्रेरणा से यहाँ के शिक्षक "स्वयम्" मूक-माध्यम से ऑनलाइन पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया में अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वहन करते हुए संस्कृत साहित्य-व्याकरण-न्यायादिशास्त्रों के आधुनिक पद्धति से प्रशिक्षण में तत्पर हैं जो निश्चय ही स्तुत्य है।

इस प्रकार के गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिककार्यों के द्वारा प्रतिदिन विश्वविद्यालय को सत्सङ्कल्प की महिमा से शैक्षणिक विकास के राजमार्ग पर लाने वाले यहाँ के अध्यापक, छात्र, कर्मचारी, अधिकारी निश्चय ही सर्वोच्च श्रेणी में इस विश्वविद्यालय को लाने के लिये सफलता को प्राप्त करेंगे।

इस प्रकार प्राचीन-नवीन शिक्षणक्रम विवचनपूर्वक परीक्षण करके सन्मार्ग में प्रवर्तमान यह संस्कृत विश्वविद्यालय कवि कुलगुरु कालिदास की रीति से निश्चय ही सन्तों, विद्वानों व बुद्धिमानों का एक समुदाय है।

जो पुराना है वह पुराना होने के कारण उत्तम अथवा उपयोगी नहीं है और जो नया है वह नया होने के कारण त्याज्य अथवा निन्द्य नहीं है। विद्वान् लोग किसी भी वस्तु की परीक्षा करके ही उसकी अच्छाई-बुराई अथवा उपयोगिता-अनुपयोगिता को स्वीकार करते हैं। मूढ़ व्यक्ति दूसरे के मत पर अवलम्बित रहता है।

विश्वविद्यालय के विभागों का परिचय

वेद एवं पौराहित्य-विभाग

वेद विश्व के प्राचीनतम ग्रन्थ हैं, “वेदोऽखिलो धर्ममूलम्” मनुस्मृति के वचनानुसार समस्त धर्मों के मूल हैं। वेद शब्द पाणिनीय व्याकरण के अनुसार विद् ज्ञाने धातु से निर्मित है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि विश्व के समस्त ज्ञान के आधार वेद हैं। वेद के विषय में भगवान् मनु ने कहा है कि- “सर्वज्ञानमयो हि सः” (मनुस्मृति-2/7) ज्ञान का विज्ञान के साथ अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। इस विषय में अमरकोष में कहा गया है कि “मोक्षे धीर्ज्ञानमन्यत्र विज्ञानं शिल्पशास्त्रयोः”।

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय में शुक्लयजुर्वेद विषय का अध्यापन सत्र 2013-14 से प्रारम्भ हुआ है। वर्तमान में विश्वविद्यालय परिसर में शुक्लयजुर्वेद विषय से शास्त्री (NEP 2020 के अनुरूप) तथा आचार्य का अध्यापन होता है। साथ ही सत्र 2017-18 से कर्मकाण्ड एवं पौराहित्य का एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम एवं षाण्मासिक प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम भी प्रारम्भ हो चुका है। वर्तमान सत्र से पी.एचडी. (विद्यावारिधि) पाठ्यक्रम प्रारंभ हो चुका है।

वेदों में विज्ञान व गणित तथा औषधि विषय के साथ प्रायः सभी विषयों का ज्ञान समाहित है। इसलिए वेदों के सन्दर्भ में यह सूक्ति प्रसिद्ध है-सर्व वेदात् प्रसिद्ध्यति।

इहलौकिक एवं पारलौकिक दोनों प्रकार के सुखों की प्राप्ति के स्थान वेद ही हैं। वे ही उचित-अनुचित निदर्शक, कर्तव्य के अवबोधक, ज्ञानालोक प्रसारक तथा निराशा के विनाशक हैं।

प्रो. दामोदर परगाई
प्रभारी विभागाध्यक्ष
7983447636

व्याकरण-विभाग

वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिम्। पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्॥

प्राचीन व्याकरण एवं नव्य व्याकरण

व्याकरणशास्त्र केवल शब्दसाधुत्वप्रक्रियामात्र बोधकशास्त्र नहीं है, अपितु वाक्तत्त्वानुशीलनविधायक स्वतन्त्र दर्शनशास्त्र भी है। “वागेव विश्वा भुवनानि जज्ञे” “ते मृत्युमतिवर्तन्ते मे वाचं समुपासते” “वाग् वै ब्रह्म” “तद् व्याकरणमागम्य परं ब्रह्माधिगम्यते” “तस्मात् यः शब्दसंस्कारः सा सिद्धिः परमात्मनः”

तद्द्वारमपवर्गस्य वाङ्मलानां चिकित्सितम्। पवित्रं सर्वविद्यानाम् अधिविद्यं प्रकाशते॥

इदमाद्यं पदस्थानं सिद्धिसोपानपर्वणाम्। इयं सा मोक्षमाणानाम् अजिह्या राजपद्धतिः॥

इत्यादि अनेक श्रुति स्तुतिवचनों से इसका दर्शनत्व सुस्पष्ट है। यह व्याकरण त्रिपथगा गंगा की तरह

प्रक्रिया, परिष्कार एवं दर्शन रूप तीन मार्गों से सबका उपकारक है। तथापि संस्कृत भाषा को शुद्ध रूप में जानने के लिए व्याकरण शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। अपनी इस विशेषता के कारण ही यह वेद का प्रमुख अंग मुख माना जाता है। इसके मूलतः पाँच प्रयोजन हैं—रक्षा, ऊह, आगम, लघु और असंदेह। ‘रक्षोहागमलघ्वसंदेहाः प्रयोजनम्’। व्याकरण शास्त्र की प्रशंसा में किसी विद्वान् ने कहा भी है—

यद्यपि बहु नाधीषे तथापि पठ पुत्र व्याकरणम्।

स्वजनः श्वजनो मा भूत् सकलं शकलं सकृच्छकृत्॥

पाणिनि ने अष्टाध्यायी में लगभग 3995 सूत्रों की रचना कर भाषा के नियमों को व्यवस्थित किया है। जिसमें वाक्यों में पदों का संकलन, पदों का प्रकृति-प्रत्यय विभाग एवं पदों की रचना आदि प्रमुख तत्त्व निहित हैं। इन नियमों की पूर्ति के लिए धातुपाठ, गणपाठ तथा उणादिसूत्र भी पाणिनि ने बनाये। सूत्रों में उक्त, अनुक्त, द्विरुक्त विषयों का विचार कर कात्यायन (वररुचि) ने वार्तिकों की रचना की, तत्पश्चात् महामुनि पतञ्जलि ने महाभाष्य की रचना कर संस्कृत व्याकरण को पूर्णता प्रदान की। इन्हीं तीनों को त्रिमुनि के नाम से जाना जाता है। प्राचीन व्याकरण में इनका अनिवार्यतः अध्ययनाध्यापन किया जाता है। नव्यव्याकरण के अन्तर्गत प्रक्रिया क्रम के अनुसार शास्त्रों का अध्ययन किया जाता है जिसमें भट्टोजि दीक्षित, नागेश भट्ट आदि आचार्यों का अध्ययन मुख्य है। प्राचीन व्याकरण एवं नव्य व्याकरण दो स्वतन्त्र प्रामाणिक धाराएँ हैं।

वर्तमान में विभाग में शास्त्री (NEP 2020 के अनुरूप), आचार्य एवं विद्यावारिधि पाठ्यक्रम के अन्तर्गत अध्यापन / शोधकार्य गतिमान है।

प्रो. दामोदर परगाई

विभागाध्यक्ष

7983447636

ज्योतिष विभाग

ज्योतिष वह विद्या या शास्त्र है जिसके द्वारा आकाश स्थित ग्रहों, नक्षत्रों आदि की गति, परिमाण, दूरी इत्यादि का निश्चय किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र की परिभाषा ‘ज्योतिषां सूर्यादिग्रहाणां बोधकं शास्त्रम्’ की गई है। ज्योतिष भाग्य या किस्मत बताने का कोई खेल-तमाशा नहीं है। यह विशुद्ध रूप से एक विज्ञान है। ज्योतिष शास्त्र वेद का अंग है। ज्योतिष शब्द की उत्पत्ति ‘द्युत दीप्तौ’ धातु से हुई है। इसका अर्थ, अग्नि, प्रकाश व नक्षत्र होता है। शब्द कल्पद्रुम के अनुसार ज्योतिर्मयसूर्यादि ग्रहों की गति, स्थिति, युति, ग्रहण इत्यादि को लेकर लिखे गए वेदांग शास्त्र का नाम ही ज्योतिष है। छः प्रकार के वेदांगों में ज्योतिष मयूर की शिखा व नाग की मणि के समान निरतिशयमहत्त्व को धारण करते हुए मूर्धन्य स्थान को प्राप्त होता है। यथा—

यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयो यथा।

तद्वद्वेदाङ्गशास्त्राणां ज्योतिषं मूर्ध्नि संस्थितम्॥

सायणाचार्य ने ऋग्वेद भाष्य भूमिका में लिखा है कि ज्योतिष का मुख्य प्रयोजन अनुष्ठेय यज्ञ के उचित काल का संशोधन करना है। यदि ज्योतिष न हो तो मुहूर्त, तिथि, नक्षत्र, ऋतु अयन आदि सब विषय उलट-पुलट हो जाएँ। ज्योतिष शास्त्र के द्वारा मनुष्य आकाशीय-चमत्कारों से परिचित होता है। फलतः वह जनसाधारण को सूर्योदय, सूर्यास्त, चन्द्र-सूर्य ग्रहण, ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की युति, ग्रह युद्ध सृङ्गोन्नति ऋतुपरिवर्तन, अयन एवं मौसम के बारे में सही व महत्वपूर्ण जानकारी देता है। सारावली के अनुसार इस शास्त्र का सही ज्ञान मनुष्य के लिये धनार्जन में बड़ा सहायक होता है क्योंकि ज्योतिष जब शुभ समय बताता है तो किसी भी कार्य में हाथ डालने पर सफलता की प्राप्ति होती है इसके विपरीत स्थिति होने पर व्यक्ति उस कार्य में हाथ नहीं डालता।

ज्योतिष सूचना व संभावनाओं का शास्त्र है। ज्योतिष गणना के अनुसार अष्टमी व पूर्णिमा को समुद्र में ज्वार-भाटे का समय निश्चित किया जाता है। वैज्ञानिक चन्द्र तिथियों व नक्षत्रों का प्रयोग अब कृषि में करने लगे हैं। ज्योतिष भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं के प्रति मनुष्य को सावधान कर देता है। रोग निदान में भी ज्योतिष का बड़ा योगदान है।

वर्तमान में विभाग में शास्त्री (NEP 2020 के अनुरूप), आचार्य एवं विद्यावारिधि पाठ्यक्रम के अन्तर्गत अध्यापन / शोधकार्य गतिमान है।

प्रो. रामरतन खण्डेलवाल
प्रभारी विभागाध्यक्ष
8909161878

साहित्य विभाग

साहित्यसङ्गीतकलाविहीनः साक्षात्पशुःपुच्छविषाणहीनः।

स्वयं न खादन्नपि जीवमानस्तद्भागधेयं परमं पशूनाम्॥

संस्कृत साहित्य एक लोकप्रिय शास्त्र है, जिसका श्रवण करते ही नाट्यशास्त्र, ध्वन्यालोक, काव्यप्रकाश रसगंगाधर जैसे लक्षण ग्रन्थों का बोध तो होता ही है साथ में अभिज्ञानशाकुन्तलम्, मेघदूतम्, कादम्बरी, नलचम्पू व वासवदत्ता आदि लक्ष्य ग्रन्थों का भी सहजतया बोध हो जाता है। संस्कृत साहित्य में इस प्रकार अनेकों ग्रन्थ रत्न विद्यमान हैं जिनका पठन -पाठन एवम् अनुसन्धान इस राष्ट्र में सहस्रों वर्षों से निरन्तर चला आ रहा है। साहित्य शास्त्र प्रत्येक मनुष्य के लिये अत्यन्त उपयोगी है, जो वेद शास्त्रादि से विमुख प्राणी को भी सहजतया और सरसतया कथा व सूक्ति के माध्यम से “रामादिवत् प्रवर्तितव्यं न रावणादिवत्” इत्यादि उपदेश प्रदान करते हुए सन्मार्ग में प्रवृत्त कर देता है।

वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना किसी दार्शनिक या समाजशास्त्री की मान्यता नहीं बल्कि संस्कृत साहित्य का ही विजयघोष है। कहा भी गया है कि- “अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्। रसभावप्रसक्तानां वसुधैव कुटुम्बकम् ॥” साहित्य के आनन्द में कोई भेद भाव या अपना पराया का

अलगाव- बिलगाव नहीं है। शिष्ट और अशिष्ट, आभिजात्य और दलित, राजा और प्रजा, अमीर और गरीब सब लोग उसका समभाव व समरसता से आनन्द उठाते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र ने साधारणीकरण प्रक्रिया द्वारा इस मानवोपयोगी महान् विचार का आविष्कार किया है। इस प्रकार साहित्य शास्त्र के निरतिशय महत्त्व को ध्यान में रखकर शासन द्वारा उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय में साहित्य विभाग को स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी। विश्वविद्यालय की स्थापना के समय से ही साहित्य एवं संस्कृति संकाय के अन्तर्गत साहित्य विभाग संचालित हो रहा है, जिसमें शास्त्री (बी.ए.संस्कृत), आचार्य (एम.ए.संस्कृत) व विद्यावारिधि (पी-एच.डी.) आदि पाठ्यक्रम चल रहे हैं। विगत सत्र 2023-24 से शास्त्री पाठ्यक्रम रा.शि. नीति 2020 के अनुरूप प्रारम्भ हो चुका है। विभाग में इस समय दो सहाचार्य तथा तीन सहायकाचार्य कार्यरत हैं, जिनके निर्देशन में अनेकों छात्र-छात्रायें विभिन्न विषयों में विद्यावारिधि (पी-एच.डी.) उपाधि हेतु अनुसन्धान रत हैं। साहित्य विभाग में प्रवेश लेने के इच्छुक सभी नवीन छात्र-छात्राओं का हार्दिक स्वागत करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की जाती है।

प्रो. मनोज किशोर पन्त
विभागाध्यक्ष
9412157445

शिक्षाशास्त्र विभाग

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय में शिक्षाशास्त्री (बी.एड.) रा.अ.शि.प. के मानकानुसार 2010-11 से प्रथम सत्र शुरू किया गया। विश्वविद्यालय के शिक्षाशास्त्री कोर्स का मुख्य उद्देश्य भाषा अध्यापकों के साथ-साथ आधुनिक ज्ञान-विज्ञान का समायोजन करते हुए योग्य शिक्षकों का निर्माण कर सर्वांगीण विकास का लक्ष्य रखा गया है। यह विभाग आधुनिक ज्ञान-विज्ञान संकाय का एक अभिन्न अंग है। वर्तमान समय में विभिन्न विषयों के आचार्य विभाग में कार्यरत हैं। विभाग का मुख्य दृष्टिकोण छात्राध्यापकों/छात्राध्यापिकाओं को विभिन्न क्रियाकलापों व भाषा शिक्षकों को आधुनिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगारोन्मुख शिक्षा से ओत-प्रोत करना है तथा भाषा अध्यापकों के क्षेत्र में शिक्षण अधिगम प्रणालियों में सामर्थ्य विकसित करने हेतु प्रतिबद्ध, कुशल एवं आत्मविश्वास युक्त अध्यापक तैयार करना है। वर्तमान में विभाग में शिक्षाशास्त्री (बी.एड.) के साथ स्नातकोत्तर स्तर पर आचार्य शिक्षा व विद्यावारिधि (पीएच.डी.) शिक्षा के पाठ्यक्रम भी चल रहे हैं।

शिक्षाशास्त्री विभाग का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों के निर्माण हेतु केन्द्रित शिक्षण प्रणालियों का प्रभावी नियोजन अधिकल्पना एवं क्रियान्वयन करना है तथा शिक्षक प्रशिक्षण में नवाचारी कार्यक्रमों को प्रोत्साहित कराना तथा भाषा शिक्षण पर केन्द्रित शोध में अन्तर्विषयी शोध को बढ़ावा देना है। प्रशिक्षण हेतु विभाग में उत्तम भौतिक संसाधनों से युक्त प्रयोगशालायें सुसज्जित हैं। जैसे भाषाविज्ञान प्रयोगशाला, मनोविज्ञान प्रयोगशाला, संगणक/प्रौद्यौगिकी प्रयोगशाला एवं योग शारीरिकशिक्षा एवं सामाजिक अध्ययन प्रयोगशाला तथा

छात्राध्यापिका कॉमन रूम, स्मार्टक्लास इत्यादि सुसज्जित हैं। इसके साथ ही कक्षाकक्ष, संगोष्ठी कक्ष से विभाग समुन्नत है। विभिन्न विषयों के शिक्षक (अध्यापक) अध्यापन में अपना समय-समय पर नवाचारी के साथ अभिनव प्रयोग करते हुए व्याख्यान देते रहते हैं। विद्यालयों में पढ़ाये जाने वाले विषयों के साथ-साथ शास्त्र संरक्षण हेतु प्राचीन विषयों, यथा-साहित्य, ज्योतिष, दर्शन, व्याकरण, वेद व आधुनिक विषयों के शिक्षण हेतु छात्राध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। शिक्षाशास्त्री के छात्राध्यापक/छात्राध्यापिकाओं द्वारा भारतीय प्राचीन शिक्षा प्ररिप्रेक्ष्य में शिक्षा के विविध पक्षों एवं आधुनिक प्ररिप्रेक्ष्य में विद्यालयीय गतिविधियों, शैक्षिक प्रबन्धन, मनोविज्ञान एवं सामाजिक आधारों के साथ साथ नवाचारी शिक्षण को ग्रहण करते हुए दृश्य-श्रव्य उपकरणों व योग शिक्षा तकनीकी साधनों का शिक्षण में उपयोग करते हैं।

डॉ. प्रकाश चन्द्र पन्त

विभागाध्यक्ष

9045378835

योग विज्ञान विभाग

भारतीय संस्कृति में योग का अत्यधिक महत्त्व है। आध्यात्मिक उन्नति या शारीरिक-मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग की आवश्यकता को प्रायः सभी ने मुक्तकंठ से स्वीकार किया है। महर्षि पंतजलि ने उसे योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः एवं भगवान् कृष्ण ने समत्वं योग उच्यते के माध्यम से इसे परिभाषित किया है। वर्तमान में जीवनशैली से संबन्धित समस्याओं के समाधान एवं आधुनिक औषधियों के दुष्प्रभाव के विकल्प के रूप में योग चिकित्सा को सर्वत्र प्रशंसा प्राप्त हो रही है। 21 जून, अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाना, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है।

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार में भी योग विज्ञान विषय को विशेष स्थान प्राप्त है। योग विज्ञान विभाग विश्वविद्यालय के स्थापना काल से ही योग विषय में एक वर्षीय डिप्लोमा, छः मासीय सर्टिफिकेट एवं द्विवर्षीय योगाचार्य (एम0ए0योग) के पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है। विभाग में सत्र 2013-14 से पी-एच0डी0 उपाधि की भी शुरुआत की गई है।

विद्यार्थियों को आधुनिक शोध एवं व्यावहारिक शिक्षा प्रदान करने हेतु वर्ष 17 अप्रैल, 2017 को माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने नवनिर्मित योग विज्ञान प्रयोगशाला का लोकार्पण किया। इससे यहाँ पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को योग एवं वैकल्पिक चिकित्सा के साथ-साथ नए अनुसंधान से संबन्धित ज्ञान को भी प्राप्त करने में सहायता मिलेगी, जो उन्हें भविष्य में रोजगारोन्मुख बनाने में सहायता प्रदान करेगा। योग विज्ञान विभाग में प्रवेश पाने के इच्छुक विद्यार्थियों को हमारी शुभकामनाएं।

प्रो. लक्ष्मीनारायण जोशी

विभागाध्यक्ष

9897703424

भाषा एवं आधुनिक ज्ञान विज्ञान विभाग

संस्कृत भाषा के उन्नयन, प्रगति एवं प्रसार हेतु स्थापित उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार में भाषा एवं आधुनिक ज्ञान विज्ञान विभाग की स्थापना इस उद्देश्य से की गई है, जिससे हमारी सनातन परंपरा को सहजकर रखने के साथ-साथ इसका सामंजस्य आधुनिक विषयों के साथ भी स्थापित किया जा सके।

जिस प्रकार संस्कृत भाषा हमेशा भारतीय जनमानस को आध्यात्मिकता के अत्यंत उच्च शिखर पर स्थापित करने का माध्यम रही है। उसी प्रकार हिंदी भाषा व इसके साहित्य ने भी भारत में अनेकता में एकता के सिद्धांत को स्थापित करने का अति महत्वपूर्ण कार्य किया है। जिसका परिणाम यह हुआ कि आगे चलकर हिंदी साहित्यिक परंपरा लोक संस्कृति में निहित भारतीयता को स्थापित करने में पूर्णतः सफल सिद्ध हुई। जिसका सम्पूर्ण श्रेय हिंदी साहित्यकारों, रचनाकारों व कवियों को जाता है। रोजगार की दृष्टि से पाठ्यक्रम को उपादेय बनाने के लिए हिंदी साहित्य के साथ-साथ इसमें विभिन्न रोजगारमूलक विषयों यथा प्रयोजनमूलक हिंदी, सृजनात्मक लेखन तथा अनुवाद आदि का भी समावेश किया गया है। साथ ही विद्यार्थियों की रचनात्मक प्रतिभा को निखारने के लिए विभाग में रचनात्मक गतिविधियों यथा मौलिक सृजनात्मक लेखन कार्य, समसामयिक एवं ज्वलंत विषयों पर परिचर्चा एवं विचार विमर्श के साथ-साथ समय-समय पर देश-विदेश के लब्ध-प्रतिष्ठित विद्वानों के सानिध्य में परिसंवाद एवं व्याख्यानों का समय समय पर आयोजन मुख्य विशेषता है।

आज के संदर्भ में संस्कृत का अध्ययन करने वाले छात्र-छात्राएं यदि आधुनिक तकनीक व आधुनिक भाषा से परीचित नहीं होंगे तो वर्तमान परिवेश व परिस्थितियों में संस्कृत को जन-जन की भाषा बनाने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बहुविषयक विषयों को साथ लेकर चलना अति श्रेयस्कर होगा। अतः इसके लिए हमें सजग प्रयास करने होंगे कि किस प्रकार संस्कृत को कुछ वर्ग तक सीमित न रखकर आमजन तक पहुँचाने के लिए आधुनिक विषयों व आधुनिक तकनीक को माध्यम बनाया जाए। फलतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उक्त विभाग में हिंदी, इतिहास, अंग्रेजी, पर्यावरण एवं कंप्यूटर जैसे विषयों को भी समाहित किया गया है।

भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का भारत वर्ष में स्वर्णिम इतिहास रहा है। भारत के ऋषि, मुनियों, मनीषियों एवं विद्वानों ने लंबे अनुसंधान के पश्चात जिस सनातन परंपरा का आविष्कार किया उसमें समस्त विश्व को एकजुट करने, उसके कल्याण उसके पालन की शक्ति निहित है। जिसका मुख्य उदाहरण रामायण एवं महाभारत जैसे ऐतिहासिक संस्कृत महाकाव्य हैं। जिनमें निहित संस्कार, मर्यादाएं भारतीय समाज की अमूल्य थाती हैं। अतः भारतीय संस्कृत साहित्यों में वर्णित गौरवशील इतिहास व संस्कृति का ज्ञान निश्चित ही आने वाली पीढ़ियों को सभ्य एवं सुसंस्कृत बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

भारतीय सभ्यता में सदा से ही जैव जगत को देवी स्वरूप मान उसका सत्कार करने की प्रथा रही है। परंतु आधुनिकता की इस दौड़ में तथा विकास के नाम पर आज हमने अपने जल, जंगल व जमीन के साथ जो

खिलवाड़ किया है। उसकी परिणति आज जलवायु परिवर्तन के रूप में हमारे सामने आ रही है। जिसका खामियाजा आज संपूर्ण विश्व भुगत रहा है। संस्कृत साहित्य में जल, जंगल, जमीन की जो अवधारणा है, उसी को प्रतिस्थापित करने के उद्देश्य से पर्यावरण विषय को इस विभाग में सम्मिलित किया गया है। आज के समय में आंग्ल भाषा जहाँ वैश्विक भाषा के रूप में प्रतिस्थापित है, वहीं ये पाश्चात्य जगत से संपन्न स्थापित करने का सर्वोच्च माध्यम भी है। अतः संस्कृत भाषा को विश्व पटल में स्थापित करने के लिए हमें इसे माध्यम रूप में स्वीकार करना अति आवश्यक है। आंग्ल भाषा का ज्ञान संस्कृत छात्र-छात्राओं के उत्तरोत्तर विकास में अत्यंत सहायक सिद्ध हो, इसलिए इस विषय के पठन पाठन पर विशेष बल दिया गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी के इस परिवेश में किसी भी विषय को जन-जन तक पहुंचाने का सबसे सुलभ माध्यम विभिन्न प्रकार के संचार माध्यम हैं। संस्कृत कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त भाषा है, जिसे कई विद्वान स्वीकार भी कर चुके हैं। अतः संस्कृत विषय में निहित विभिन्न परंपराओं को साथ लेकर उसे जन-जन के मन मस्तिष्क में उतारने तथा उसके प्रति सकारात्मक वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से कम्प्यूटर का ज्ञान होना भी अति आवश्यक है। अतः भाषा एवं आधुनिक ज्ञान विज्ञान विभाग के अंतर्गत इस विषय को स्थान दिया गया है।

डॉ. अजय परमार
विभागाध्यक्ष
9411733108

षाण्मासिक पर्यावरणीय जागरूकता पाठ्यक्रम

विकास की तीव्रगति ने यद्यपि एक ओर संपूर्ण विश्व को जोड़ दिया है, परंतु यह भी सत्य है कि तेजी से हो रहे नगरीकरण, औद्योगिकीकरण एवं जनसंख्या वृद्धि ने प्रकृति पर असीमित भार डाल दिया है। आज हमारे पास सांस लेने तक के लिए भी स्वच्छ वायु का अभाव है। जल स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं एवं मृदा की उपजाऊ क्षमता में ह्रास के साथ-साथ विषाक्तता आ गई है। एक सुखद स्थिति यह है कि पर्यावरणीय संतुलन में इतनी भी विकृति नहीं आई है कि उसमें सुधार न किया जा सके। यह भी सत्य है कि प्रकृति को उसका मूल एवं स्वच्छ स्वरूप लौटाने के लिए एक ऐसे समाज की आवश्यकता है जहाँ के नागरिक प्रकृति-प्रेमी, विवेकशील एवं प्रकृति की समझ रखने वाले हों।

उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय में 'षाण्मासिक पर्यावरणीय जागरूकता पाठ्यक्रम संचालित है। यह पाठ्यक्रम पर्यावरण से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं यथा प्रदूषण, पारितंत्र, जैवविविधता, प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक आपदा, पर्यावरणीय अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण आदि को समाहित करता है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं की जानकारी अत्यंत सरल एवं रोचक ढंग से उपलब्ध कराना है, जिससे कि उनमें स्वतः ही पर्यावरण चेतना उत्पन्न हो तथा वे इसके संरक्षण के लिए हृदय से सहयोग दें। इस पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण बिंदु हमारे प्राचीन साहित्य में पर्यावरणीय चेतना को विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करना है, जिससे कि वे जान सकें कि पर्यावरण के प्रति

चिंतन एवं सम्मान की भावना कोई नवीन विषय नहीं अपितु हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है।

डॉ. विनय कुमार सेठी
सहायक आचार्य (पर्यावरण विज्ञान)
9719775831

षाण्मासिक आंग्लभाषा संप्रेषण पाठ्यक्रम

वर्तमान समय में अंग्रेजी भाषा, संप्रेषण का प्रमुख माध्यम बन गई है। भारत की भाषागत विभिन्नता ने अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को और व्यापक बना दिया है। अगर कोई व्यक्ति अपने ज्ञान एवं अनुभव को अधिकाधिक लोगों तक पहुँचाना चाहता है तो अंग्रेजी भाषा एक अच्छा माध्यम साबित होती है। यह भाषा आपको विश्व से जोड़ने का काम करती है। किंतु यह अनुभव किया गया है कि अभी भी हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग सहजता से नहीं कर पाते हैं। विशेष तौर पर हिंदी माध्यम से पढ़ रहे बच्चे अंग्रेजी बोलने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। अतः एक ऐसे पाठ्यक्रम की जरूरत दिखाई देती है जो इस समस्या का निराकरण कर सकें।

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय में ‘षाण्मासिक अंग्रेजी’ पाठ्यक्रम संचालित है जो इस समस्या का समाधान करता है। इस पाठ्यक्रम में व्याकरण लेखन क्षमता, संप्रेषण आदि सभी विषयों को समाहित किया गया है, जिससे कि हिंदी एवं संस्कृत माध्यम से पढ़ने वाले विद्यार्थी अंग्रेजी को सहजता से सीख सकें तथा अपनी बात को अंग्रेजी में अभिव्यक्त कर सकें।

डॉ. श्वेता अवस्थी
सहायक आचार्या (अंग्रेजी)
8449902465

कम्प्यूटर विज्ञान पाठ्यक्रम

कम्प्यूटर विज्ञान, आधुनिक ज्ञान विज्ञान संकाय के अन्तर्गत संचालित पाठ्यक्रम है जिसका उद्देश्य परम्परागत विषय के छात्र-छात्राओं को संगणकीय प्रविधि का ज्ञान प्रदान कर संस्कृत एवं संगणकीय सम्बन्धों को सुदृढ़ बनाना व उच्च स्तरीय शोध को बढ़ावा देना है जिससे संस्कृत भाषा के संरक्षण एवं सम्वर्धन को अपेक्षित गति प्राप्त हो सके।

विश्वविद्यालय में कम्प्यूटर विज्ञान पाठ्यक्रम के अन्तर्गत एक वर्षीय Post Graduate Diploma in Computer Application (PGDCA) एवं षाण्मासिक कम्प्यूटर प्रमाणपत्र (Six Month Computer Certificate) पाठ्यक्रम संचालित हैं। इसके साथ ही शास्त्री एवं आचार्य स्तर पर कम्प्यूटर विज्ञान विषय को अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाता है।

विश्वविद्यालय में कम्प्यूटर विज्ञान में सभी छात्र-छात्राओं को प्रयोगात्मक ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से

कम्प्यूटर प्रयोगशाला की स्थापना की गयी है जो इन्टरनेट एवं वाईफाई सुविधा से सुसज्जित है। प्रयोगशाला में विभिन्न प्रकार के उपकरण एवं सॉफ्टवेयर्स उपलब्ध हैं, जिनके माध्यम से छात्र संगणक विषय की अद्यतन तकनीकियों से परिचित होते हैं।

सुशील कुमार चमोली
सहायक आचार्य (कम्प्यूटर साइंस)
9410532438

आचार्य (एम.ए.) इतिहास

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, बहादुराबाद (हरिद्वार) अपनी स्थापना के प्रारम्भ से ही संस्कृत भाषा के उन्नयन में निरन्तर प्रयासरत है। संस्कृत भाषा सदा से ही भारतीय संस्कृति के विकास की सारथी रही है। यही कारण है कि हमें संस्कृत साहित्य से भारतीय संस्कृति के अनेक उदात्त पक्षों जैसे-सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनैतिक स्थिति एवं ज्ञान-विज्ञान आदि के विराट दर्शन होते हैं। जिसकी पुष्टि पुरातात्विक साक्ष्य भी करते हैं। अतः संस्कृत साहित्य पूर्वकालीन भारत को जानने और उसे समझने का अति महत्वपूर्ण स्रोत हैं। भारत के मुनियों, मनीषियों ने भारतीय समाज एवं संस्कृति की संरचना करने एवं उसको विकसित करने का जो कार्य किया है उसकी प्रासंगिकता आज के संदर्भों में भी ज्यों की त्यों बरकरार है। तभी तो भारतीय धर्म, समाज और संस्कृति का जो रूप हमें वर्तमान में दिखाई देता है। वह पुरातन व्यवस्था का रूप है।

भारतीय इतिहास विभिन्न कालखण्डों का दर्पण है। जिसके माध्यम से समाज एवं संस्कृति के अतीत से हमारा परिचय होता है। उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय बहादुराबाद (हरिद्वार) के आधुनिक ज्ञान विज्ञान संकाय के अंतर्गत स्नात्कोत्तर स्तर पर इतिहास पढ़ाया जा रहा है। जो विश्वविद्यालय के उदात्त उद्देश्यों की पूर्ति में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पाठ्यक्रम के माध्यम से यहाँ संस्कृत साहित्य में निहित इतिहास के विभिन्न पक्षों (जैसे-सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं राजनैतिक आदि) का परिचय कराया जाता है। प्राचीन एवं आधुनिक संस्कृति के इतिहास का संयोजन इसकी विशेषता है। जो भारत की सनातन परम्परा के स्वर्णिम काल से छात्र/छात्राओं का परिचय तो कराता ही है वहीं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अत्यंत सहायक है।

डॉ. अजय परमार
सहायक आचार्य (इतिहास)
9411733108

पत्रकारिता विभाग

पत्रकारिता एवं जनसंचार के क्षेत्र में ज्ञान एवं कौशल विकसित करने के उद्देश्य से पत्रकारिता विभाग की स्थापना वर्ष 2011 में हुई। पत्रकारिता विभाग उत्तराखण्ड में पत्रकारिता एवं जनसंचार के क्षेत्र में शिक्षण प्रदान करने वाला एक प्रमुख केन्द्र है। पत्रकारिता विभाग में पत्रकारिता एवं जनसंचार के क्षेत्र के सम्यक मानव

संसाधन विशेष कर पत्रकारिता एवं जनमाध्यमों के विभिन्न विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए दो वर्षीय एम0ए0 (पत्रकारिता) का पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है। इन पाठ्यक्रमों को पूर्ण करने के पश्चात छात्र प्रिन्ट माध्यम यथा समाचार पत्र पत्रिकाएं एवं इलेक्ट्रोनिक माध्यम यथा रेडियो, टेलिविजन की पत्रकारिता, विकास संचार, जनसंपर्क, विज्ञापन, नवीन माध्यम (New Media) और इवेंट प्रबन्धन के क्षेत्र में अपना भविष्य बना सकते हैं।

पत्रकारिता विभाग में छात्रों की सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक ज्ञान के साथ-साथ उनके कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि छात्र/छात्राएँ पत्रकारिता एवं जनसंचार के क्षेत्र की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सकें। साथ ही मीडिया जगत की जरूरत के अनुसार अपने को समायोजित कर सकें। पत्रकारिता विभाग को पत्रकारिता एवं जनसंचार के क्षेत्र में विशेष कर संस्कृत पत्रकारिता के लिए देश के सर्वोत्कृष्ट केन्द्र के तौर पर विकसित किए जाने का लक्ष्य है। विभाग में छात्र/छात्राओं के लिए व्यवसाय एवं रोजगार सम्बन्धी परामर्श एवं मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराए जाते हैं। छात्र/छात्राओं के लिए प्रत्येक सत्र में एक महीने का व्यावहारिक प्रशिक्षण अनिवार्य है।

डॉ० उमेश कुमार शुक्ल
प्रभारी विभागाध्यक्ष
9454191557

राष्ट्रीय सेवा योजना (N.S.S.)

राष्ट्रीय सेवा योजना भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा संचालित है। इसका शुभारम्भ 24 सितम्बर, 1969 ई. में देश के 37 विश्वविद्यालयों में 40 हजार छात्र/छात्राओं द्वारा हुआ। इस योजना में राष्ट्र-निर्माण तथा समाज सेवा के क्षेत्र में अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिसके फलस्वरूप आज देश में लगभग 36 हजार युवा छात्र/छात्राएँ इस योजना में पंजीकृत हैं।

इस योजना का उद्देश्य शिक्षा अर्जन के साथ-साथ सामुदायिक सेवा के माध्यम से व्यक्तिगत विकास करना है। इसका सिद्धान्त वाक्य 'मैं नहीं परन्तु आप' है। उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार में सम्प्रति 26 संस्कृत महाविद्यालयों में राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाईयाँ संचालित हैं। इस योजना में प्रमुख रूप से प्रत्येक छात्र/छात्रा को एक वर्ष में 120 घण्टे नियमित कार्यक्रम दिन और रात का एक सात दिवसीय विशेष शिविर के अतिरिक्त राष्ट्रीय कार्यक्रमों-गणतन्त्र दिवस परेड, पूर्व गणतन्त्र दिवस परेड, राष्ट्रीय युवा महोत्सव, राष्ट्रीय एकीकरण शिविर, मेगा कैम्प, ग्रीष्म तथा शीतकालीन साहसिक शिवरों में प्रतिभाग करने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त होता है। इस प्रकार कुल दो वर्ष इसमें छात्र/छात्रा की प्रतिभागिता सुनिश्चित की गई है। इसके पश्चात् प्रतिभागी छात्र-छात्रा का 'ए' प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। प्रथम वर्ष में 'बी' तथा द्वितीय वर्ष में 'सी' उत्तीर्ण करने के उपरान्त प्रत्येक प्रमाण पत्र के 5-5 अंक कुल 15 अंकों की अधिमानता प्राप्त होती है, जिससे छात्र/छात्रा बी.एड. तथा अनेक प्रशासनिक सेवाओं में लाभान्वित होता/होती है।

कार्यक्रम अधिकारी

उद्देश्यानि

उत्तराखण्डसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य प्रमुखोद्देश्यानि-

1. विश्वविद्यालयस्य स्थापनायाः उद्देश्यं पारम्परिकसंस्कृतविद्यायाः प्रचारः प्रसारः विकासः प्रोत्साहनञ्च।
2. प्राच्य-पाश्चात्यज्ञानविज्ञानानां समन्वयः।
3. प्राच्यभाषाणां तत्सम्बद्धविभिन्नविषयाणाम् अध्ययनाध्यापनपरम्परासंरक्षणम्।
4. संस्कृतविद्यायाः सर्वासु विधासु अनुसन्धानम्।
5. शिक्षणप्रशिक्षणयोः पाण्डुलिपिविज्ञानस्य च संरक्षणम्।
6. कौशलविकासपरकाणां व्यावसायिकपाठ्यक्रमाणां माध्यमेन संस्कृतस्य विकासाय प्रचाराय प्रसाराय च प्रयासाः।
7. संस्कृतभाषायाः प्रचार-प्रसाराय समये-समये संस्कृतसंभाषणशिविराणामायोजनम्।
8. संस्कृतस्य सर्वर्धनाय प्रदेशसर्वकारस्य राजकीयाभिकरणरूपेण तस्य नीतीनां योजनानाञ्च क्रियान्वयनम्।
9. शैक्षणिकक्षेत्रेषु अनुदेशनस्य प्रशिक्षणस्य च प्रबन्धीकरणम्।
10. शोधज्ञानस्य प्रचाराय विकासाय च समुचितमार्गदर्शनं व्यवस्थाविधानञ्च।
11. भारतसर्वकारस्य विश्वविद्यालयानुदानायोगस्य च सहयोगेन शोधपीठ-अध्ययनपीठानां संस्थापनम्।
12. भारतीयसंस्कृतिसाहित्येन सह अन्य-संस्कृतीनां तुलनात्मकं समीक्षात्मकमध्ययनम् अनुसन्धानञ्च।
13. विश्वविद्यालयस्योत्थाने विविधानां शैक्षणिकगतिविधीनां सांस्कृतिकपक्षाणां च निष्पादनम्।
14. पालिप्राकृतभाषाणां संरक्षणं सर्वर्धनञ्च।
15. राष्ट्रियान्तराष्ट्रिय-संगोष्ठी-कार्यशाला-पुनश्चर्यापाठ्यक्रमाणां माध्यमेन विश्वविद्यालयस्थानां छात्राणां शिक्षकाणां जिज्ञासूनाञ्च प्रचीनेन विज्ञानेन शस्त्रज्ञानेन च सह अधुनातनज्ञानविज्ञानानां सुसंयोजनम्।
16. संस्कृतसाहित्यस्य व्यापकमध्ययनमनुसन्धानञ्च।

उद्देश्य

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रमुख उद्देश्य-

1. विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रथम उद्देश्य पारम्परिक संस्कृत विद्या का प्रचार, विकास और प्रोत्साहन है।
2. प्राच्य-पाश्चात्य ज्ञान/विज्ञान का समन्वय।
3. प्राच्य भाषाओं एवं तत्सम्बद्ध विभिन्न विषयों के अध्ययन, अध्यापन परम्परा का संरक्षण।
4. संस्कृत विद्या की सभी विधाओं में अनुसन्धान।
5. शिक्षण/प्रशिक्षण तथा पाण्डुलिपिविज्ञान का संरक्षण।
6. कौशलविकासपरक व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से संस्कृत के विकास, प्रचार-प्रसार के लिए प्रयास।
7. संस्कृत भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए समय-समय पर संस्कृत संभाषण शिविरों का आयोजन करना।

8. संस्कृत के संवर्धन के लिए प्रदेश सरकार के राजकीय अभिकरण के रूप में, उसकी नीतियों और योजनाओं का क्रियान्वयन।
9. शैक्षणिक क्षेत्रों में अनुदेशन और प्रशिक्षण का प्रबन्ध करना।
10. शोध ज्ञान के प्रचार और विकास के लिए समुचित मार्गदर्शन तथा व्यवस्था करना।
11. भारत सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सहयोग से शोध पीठों तथा अध्ययनपीठों की स्थापना।
12. भारतीय संस्कृति और साहित्य के साथ अन्य संस्कृतियों का तुलनात्मक तथा समीक्षात्मक अध्ययन और अनुसन्धान।
13. विश्वविद्यालय के उत्थान में अनेक शैक्षणिक गतिविधियों और सांस्कृतिक पक्षों का निष्पादन।
14. पालि और प्राकृत भाषाओं का संरक्षण तथा संवर्धन।
15. राष्ट्रीय-अन्तराष्ट्रीय संगोष्ठी, कार्यशाला, पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के माध्यम से विश्वविद्यालय के छात्रों, शिक्षकों और जिज्ञासुओं का प्राचीन विज्ञान एवं शास्त्रों के साथ आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की सम्बन्ध स्थापना।
16. संस्कृत साहित्य का व्यापक अध्ययन और अनुसन्धान।

सञ्चालनसंरचना

उत्तराखण्डसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य सञ्चालनम् अधोनिर्दिष्टानां समितीनां माध्यमेन भवति-

1. कार्यपरिषद्
2. विद्यापरिषद्
3. वित्तसमिति:
4. परीक्षा-समिति:
5. प्रवेशसमिति:

अपि च राज्यस्तरीयानाम् अन्येषां विश्वविद्यालयानां कुलाधिपतिरिव उत्तराखण्डसंस्कृतविश्वविद्यालयस्यापि कुलाधिपतयः कुलाध्यक्षाः श्री राज्यपालमहोदयाः वर्तन्ते। कार्यपरिषद् विश्वविद्यालयस्य सर्वश्रेष्ठ-नीतिगतनिर्णयानां क्रियान्वयनाय अधिकारसम्पन्नाऽस्ति। विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः पदेन अस्याः परिषदः अध्यक्षः भवन्ति। शिक्षा-शिक्षण-प्रशिक्षण-शोधकार्यक्रमाणां मानदण्डादीनामनुरक्षणं विद्यापरिषदा क्रियते। विश्वविद्यालयीयानां वित्तीय-समस्तगतिविधीनां सञ्चालनं, वार्षिक-आय-व्ययादीनां निर्धारणञ्च वित्तसमितिः विदधाति। परीक्षासमितिः परीक्षासम्बद्धानि सर्वाणि कार्याणि सम्पादयति। प्रवेशसम्बन्धिकार्यजातं तावत् प्रवेशसमितिः सुसम्पादयति।

सञ्चालन संरचना

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय का सञ्चालन अधोलिखित समितियों के माध्यम से किया जाता है-

1. कार्यपरिषद्

2. विद्यापरिषद्
3. वित्त समिति
4. परीक्षा समिति
5. प्रवेश समिति

इसके अतिरिक्त राज्य स्तरीय अन्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति की भाँति उत्तरखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय के भी कुलाध्यक्ष/कुलाधिपति माननीय राज्यपाल महोदय हैं। कार्य-परिषद् विश्वविद्यालय की सर्वश्रेष्ठ नीतिगत निर्णयों के क्रियान्वयन करने हेतु अधिकार सम्पन्न परिषद् है। विश्वविद्यालय के कुलपति पदेन इस परिषद् के अध्यक्ष होते हैं। शिक्षा, शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसन्धान आदि के मानकों का अनुरक्षण विद्या-परिषद् के द्वारा होता है। विश्वविद्यालयीय वित्तीय गतिविधियों का सञ्चालन, वार्षिक आय-व्यय का निर्धारण वित्त समिति द्वारा किया जाता है। परीक्षा-समिति परीक्षाओं का आयोजन करती है तथा प्रवेश सम्बन्धी कार्यक्रमों का सम्पादन प्रवेश-समिति करती है।

विश्वविद्यालयस्य प्रमुखकार्याणि

विश्वविद्यालयस्य पूर्वोक्त-उद्देश्यानां प्राप्तये विश्वविद्यालयपरिसरे सम्बद्धमहाविद्यालयेषु च निम्नलिखिताः क्रियाकलापाः नियमितरूपेण अनुष्ठीयन्ते।

1. राज्यस्य विभिन्नस्थलेषु महाविद्यालयानां सञ्चालनम्।
2. स्नातक-स्नातकोत्तरस्तरे परम्परागतपद्धत्या संस्कृतशिक्षणम्।
3. प्राच्यविषयाणामध्ययनमध्यापनञ्च।
4. संस्कृतभाषामाध्यमेन शिक्षकप्रशिक्षणम्।
5. व्यावसायिकपाठ्यक्रमेषु उपाधि/प्रमाणपत्रप्रदानञ्च।
6. स्वीकृतेषु निर्धारितेषु पाठ्यक्रमेषु छात्रेभ्यः डिप्लोमा/प्रमाणपत्रप्रदानम्।
7. शोधकार्यम्।
8. “शोध प्रज्ञा” नाम्न्याः शोधपत्रिकायाः, ‘विश्वविद्यालयवार्ताः’ समाचारपत्रिकायाः प्रकाशनम्।
9. विश्वविद्यालयदिनदर्शिकाया दैनन्दिन्याश्च प्रकाशनम् (भारतीयपद्धतिं प्रमुखीकृत्य)
10. मा.कुलाधिपतिमहोदयानां निर्देशानुसारं विश्वविद्यालयद्वारा गंथानां लेखनं तथा प्रकाशनम्।

विश्वविद्यालय के प्रमुख कार्य

विश्वविद्यालय पूर्व निर्दिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित क्रियाकलापों का नियमित आयोजन करता है-

1. राज्य के विभिन्न स्थानों में महाविद्यालयों का सञ्चालन।
2. स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर पर परम्परागत पद्धति से संस्कृत शिक्षण।
3. प्राच्यविषयों का अध्ययन और अध्यापन।
4. संस्कृत माध्यम से शिक्षण-प्रशिक्षण पर विशेष बल।
5. व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में उपाधि/प्रमाणपत्र प्रदान करना।

6. स्वीकृत निर्धारित पाठ्यक्रमों में छात्रों को डिप्लोमा/प्रमाणपत्र प्रदान करना।
7. शोध कार्य। 8. “शोध प्रज्ञा”, ‘विश्वविद्यालयवार्ता:’ समाचार पत्रिका एवं DJMR का प्रकाशन।
9. विश्वविद्यालय कैलेन्डर एवं दैनन्दिनी का प्रकाशन (भारतीय पद्धति के आधार पर)
10. मा. कुलाधिपति जी की अपेक्षानुरूप विश्वविद्यालय के द्वारा लिखवाए गए ग्रंथों का प्रकाशन।

कार्यकारि-संरचना उत्तराखण्ड-संस्कृत-विश्वविद्यालय: अधोलिखितानुभागानां माध्यमेन कार्यं करोति।

1. **प्रशासन-अनुभाग:-** अनुभागोऽयं सामान्यप्रशासनकार्याणां सञ्चालनं करोति। अनेन नियुक्तिः, पदस्थापना तत्तद् महाविद्यालयेषु नियन्त्रणं च क्रियते।
2. **वित्त-अनुभाग:-** विश्वविद्यालयस्य आयव्ययपत्रकस्य “बजट” इत्यस्य विवरणम्, अनुदानस्य विवरणं, वित्तीयव्यवस्थायाः वार्षिकाभिलेखं च प्रस्तौति अनुभागोऽयम्। भविष्यनिधीनां निर्धारणं, छात्रवृत्तीनां संवितरणञ्चापि क्रियते अनेनानुभागेनेति।
3. **परीक्षा-अनुभाग:-** अनुभागोऽयं स्नातक-स्नातकोत्तरस्तरे शोध-छात्रस्तरे च परीक्षा आयोजयति तासां मूल्यांकनकार्यमपि अनुभागोऽयं सम्पादयति। परीक्षानुभागमाध्यमेन विद्यावारिधि-शिक्षाशास्त्र-पाठ्यक्रमयोः प्रवेशपरीक्षा, वार्षिकपरीक्षा चापि सञ्चाल्यते। एतदतिरिक्तमनुभागोऽयं तत्तत्पाठ्यक्रमाणाम् अङ्कपत्रं, प्रमाणपत्रं, प्रव्रजनप्रमाणपत्रं, श्रेणीसंस्कारादिकार्यञ्च सम्पादयति।
4. **शैक्षिकानुभाग:-** विश्वविद्यालये महाविद्यालयेषु च पारम्परिकपद्धत्या संस्कृतशिक्षणाय सर्वासु कक्षासु मानकनिर्धारणं शैक्षिककार्यक्रमस्य चर्यानिर्माणं पाठ्यक्रमनिर्माणञ्च अनुभागोऽनेन क्रियते।

कार्यकारी संरचना उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय निम्नलिखित अनुभागों की सहायता से कार्य करता है।

1. **प्रशासन अनुभाग-** यह अनुभाग सामान्य प्रशासनिक कार्यों का संचालन करता है। इसके द्वारा नियुक्ति, पदस्थापना तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों का नियन्त्रण किया जाता है।
2. **वित्त अनुभाग-** विश्वविद्यालय के बजट का विवरण, अनुदान का विवरण, वित्तीय व्यवस्था का वार्षिक लेखा-जोखा इस अनुभाग द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। भविष्यनिधियों का निर्धारण तथा छात्रवृत्तियों का संवितरण भी किया जाता है।
3. **परीक्षा अनुभाग -** यह अनुभाग विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों की परीक्षा का आयोजन करते हुए मूल्यांकन कार्य भी सम्पादित करता है। इस अनुभाग के माध्यम से विद्यावारिधि और शिक्षाशास्त्री (बी.एड्.) की प्रवेश परीक्षा और वार्षिक परीक्षा का भी आयोजन किया जाता है। अनुभाग के माध्यम से अंकपत्र, प्रमाणपत्र, निष्क्रमण प्रमाण-पत्र और श्रेणी सुधारादि कार्य किये जाते हैं।
4. **शैक्षिक अनुभाग -** विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में परम्परागत संस्कृत शिक्षण के लिए सभी कक्षाओं में मानक निर्धारण, शैक्षिक कार्यक्रम, पचांग निर्माण और पाठ्यक्रम निर्माण कार्य इस अनुभाग द्वारा किये जाते हैं।

विभागानां परिचयः

क्र.सं.	संकायः/विभागः	संचालित पाठ्यक्रमाः	विभागीयसदस्याः	दूरभाषसंख्या
1.	वेदावेदाङ्गसंकायः			
	वेदएवंपौराहित्यविभागः	शास्त्री, आचार्यः, विद्यावारिधिः पी.जी. डिप्लोमा, प्रमाणपत्रम्	प्रो. दामोदर परगाँई	9410939700
	व्याकरणविभागः	शास्त्री, आचार्यः, विद्यावारिधिः	प्रो. दामोदर परगाँई, विभागाध्यक्षः, संकायाध्यक्षः	9410939700
	ज्योतिषविभागः	शास्त्री, आचार्यः, विद्यावारिधिः, पीजीडी	डॉ. रामरतनखण्डेलवालः, प्र. विभागाध्यक्षः	8909161878
2.	साहित्यसंस्कृतिसंकायः		डॉ. हरीशचन्द्रतिवाडी	9785533878
	साहित्यविभागः	शास्त्री, आचार्यः, विद्यावारिधिः, प्रमाणपत्रम्	प्रो. मनोजकिशोरपन्तः, सहायकाचार्यः प्रो. रामरतनखण्डेलवालः, सहायकाचार्यः डॉ. कंचनतिवारी, सहायकाचार्यः	9412157445 8909161878 8449854358
3.	आधुनिकज्ञानविज्ञानसंकायः			
	(क) भाषा एवं आधुनिकज्ञानविज्ञानविभागः पर्यावरणम् इतिहास संगणकविज्ञानम् (कम्प्यूटर) आंग्लभाषा (अंग्रेजी),	आचार्यः, (एम.ए.) विद्यावारिधिः विद्यावारिधिः, प्रमाणपत्रम् आचार्यः (एम.ए.) विद्यावारिधिः पीजीडी, कम्प्यूटर प्रमाणपत्रम् विद्यावारिधिः, प्रमाणपत्रम्	प्रो. दिनेशचंद्रचमोला, आचार्य डॉ. उमेश कुमारशुक्लः, सहायकाचार्यः डॉ. विनय सेठी, सहायकाचार्यः डॉ. अजयपरमारः, सहायकाचार्यः, विभागाध्यक्षः श्री सुशीलकुमार चमोली, सहायकाचार्यः डॉ. श्वेता अवस्थी, सहायकाचार्या	9411173339 9454191557 9719775831 7060837067 9410532438 9839079087
	(ख) शिक्षाशास्त्रविभागः	शिक्षाशास्त्री (बी.एड.) आचार्य (एम.ए. शिक्षाशास्त्रम्) विद्यावारिधिः	प्रो. मोहनचन्द्रबलोदी, आचार्य प्रो. अरविन्द नारायण मिश्रः प्रो. विन्दुमती द्विवेदी, सहायकाचार्या डॉ. प्रकाशचन्द्रपन्तः, विभागाध्यक्षः डॉ. सुमनप्रसादभट्टः, सहायकाचार्यः श्रीमती मीनाक्षी सिंह रावत, सहायकाचार्यः	9811570611 9084023707 7017967291 9411372835 9917189039 9917189039
	(ग) योगविज्ञानविभागः	योगाचार्यः, पीजीडी प्रमाणपत्रम् विद्यावारिधिः	प्रो. लक्ष्मीनारायण जोशी, विभागाध्यक्षः, संकायाध्यक्षः डॉ. कामाख्याकुमारः	7017860155
	(घ) पत्रकारिताविभागः	एम.ए., (पत्रकारिता)	डॉ. उमेशकुमारशुक्लः, प्रभारी विभागाध्यक्षः	9454195557

विभागों का परिचय

क्र.सं.	संकाय/विभाग	संचालित पाठ्यक्रम	विभागीय सदस्य	दूरभाष संख्या
1.	वेदवेदाङ्गसंकाय			
	वेद एवं पौरोहित्य विभाग:	शास्त्री आचार्य, विद्यावारिधि पीजीडी, प्रमाणपत्र	प्रो. दामोदर परगौई	8126729245
	व्याकरणविभाग	शास्त्री आचार्य, विद्यावारिधि	प्रो. दामोदर परगौई, विभागाध्यक्ष, संकायाध्यक्ष	9410939700
	ज्योतिषविभाग	शास्त्री आचार्य, विद्यावारिधि	प्रो. रामरतन खण्डेलवाल, प्र. विभागाध्यक्ष	8909161878
2.	साहित्यसंस्कृतिसंकाय	शास्त्री आचार्य, विद्यावारिधि प्रमाणपत्र	डॉ. हरीश चन्द्र तिवाडी	9785533878
	साहित्यविभाग		प्रो. मनोज किशोर पन्त, सहायकाचार्य	9412157445
			प्रो. रामरतन खण्डेलवाल, सहायकाचार्य	8909161878
			डॉ. कंचन तिवारी, सहायकाचार्य	8449854358
3.	आधुनिकज्ञानविज्ञान संकाय			
	(क) भाषा एवं आधुनिकज्ञानविज्ञानविभाग पर्यावरण इतिहास संगणकविज्ञान (कम्प्यूटर) आंग्लभाषाविभाग (अंग्रेजी)	आचार्य, विद्यावारिधि विद्यावारिधि, प्रमाणपत्र आचार्य (एम.ए.), विद्यावारिधि पीजीडी, प्रमाणपत्र विद्यावारिधि, प्रमाणपत्र	प्रो. दिनेश चंद्र चमोला, आचार्य डॉ. उमेश कुमार शुक्ल, सहायकाचार्य डॉ. विनय कुमार सेठी, सहायकाचार्य डॉ. अजय परमार, सहायकाचार्य, विभागाध्यक्ष श्री सुशील कुमार चमोली, सहायकाचार्य डॉ. श्वेता अवस्थी, सहायकाचार्य	9411173339 9454191557 9719775831 7060837067 9410532438 8449902465
	(ख) शिक्षाशास्त्रविभाग शिक्षाशास्त्री (बी.एड.)	शिक्षाशास्त्री (बी.एड.) आचार्य (एम.ए.शि.शा.) विद्यावारिधि	प्रो. मोहन चन्द्र बलोदी, आचार्य प्रो. अरविन्द नारायण मिश्र प्रो. विन्दु मती द्विवेदी, सहायकाचार्य डॉ. प्रकाश चन्द्र, विभागाध्यक्ष डॉ. सुमन प्रसाद भट्ट, सहायकाचार्य श्रीमती मीनाक्षी सिंह रावत, सहायकाचार्य	9811570611 9084023707 9411372835 9411372835 9917189039 7500551489
	(ग) योगविज्ञानविभाग	योगाचार्य, पीजीडी, प्रमाणपत्र विद्यावारिधि	प्रो. लक्ष्मी नारायण जोशी, विभागाध्यक्ष, संकायाध्यक्ष डॉ. कामाख्या कुमार	7017860155
	(घ) पत्रकारिताविभाग	एम.ए., (पत्रकारिता)	डॉ. उमेश कुमार शुक्ल, प्रभारी विभागाध्यक्ष	9454191557

महत्त्वपूर्ण तिथयः

क्र.सं.	विषयः	महत्त्वपूर्ण तिथियः
01.	विश्वविद्यालये/महाविद्यालयेषु प्रवेशावदेनपत्रवितरणप्रारम्भस्य तिथिः	01 जुलाई 2026 तः
02.	विश्वविद्यालये/महाविद्यालयेषु प्रवेशास्यान्तिमा तिथिः	31 जुलाई 2026
03.	विश्वविद्यालये/महाविद्यालयेषु शैक्षणिकसत्रारम्भस्य तिथिः	16 जुलाई 2026

विशेषः उक्ततिथिषु विश्वविद्यालयेन परिवर्तनमपि कर्तुं शक्यते।

महत्त्वपूर्ण तिथियाँ

क्र.सं.	विषयः	महत्त्वपूर्ण तिथियः
01.	विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में प्रवेश आवेदन-पत्र वितरण प्रारम्भ करने की तिथि	01 जुलाई 2026 से
02.	विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में प्रवेश की अन्तिम तिथि	31 जुलाई 2026
03.	विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र आरम्भ होने की तिथिः	16 जुलाई 2026

विशेषः उक्त तिथियों में विश्वविद्यालय द्वारा परिवर्तन भी किया जा सकता है।

प्रवेशनियमाः

1. विधिमान्य-संस्थया प्राक्शास्त्री/उत्तरमध्यमा अथवा संस्कृतविषयेण सह तत्सकमकक्षपरीक्षायाम् (इन्टरमीडिएट) उत्तीर्णः अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी शास्त्रप्रथमवर्षे प्रवेशाय अर्हः/अर्हा भविष्यति। 2023-24सत्रतः शास्त्रपाठ्यक्रमः NEP2020 इत्यनुरूपं प्रारब्धः, इन्टरमीडिएटस्तरे येषां छात्राणां संस्कृतविषयः नास्ति, तैः छात्रैः विश्वविद्यालये/महाविद्यालये निर्धारितपाठ्यक्रमानुसारं प्रवेशपरीक्षा उत्तरणीया भविष्यति, उक्तप्रवेशपरीक्षायाम् उत्तीर्णाः छात्राः साहित्य-फलितज्योतिष-पुराणेतिहासादिविषयेषु प्रवेशाय अर्हा भविष्यान्ति, विस्तृत-विवरणाय जालपुटस्य अवलोकनं कुर्युः।
2. प्रवेशसमये मूलप्रमाणैः सह सम्बन्धितस्य विभागाध्यक्षस्य सम्मुखे उपस्थितिरनिवार्या।
3. प्रवेशतिथेरनन्तरम् अविचारितावेदनपत्राणां निरस्तीकरणं स्वत एव भविष्यति।
4. उत्तराखण्डराज्ये अन्यप्रदेशेभ्यः समागतेभ्यः छात्रेभ्यः/छात्राभ्यश्च आरक्षितपत्राणां अनिवार्य भविष्यति।
5. सी.बी.एस.ई. द्वारा अंगीकृता ग्रेडिंग व्यवस्था विश्वविद्यालये प्रवेशाय स्वीक्रियते।
6. विश्वविद्यालये प्रवेशप्राप्तेः अनन्तरमपि यदि कस्याऽपि छात्रस्य छात्रायाः वा अनुशासनहीनतायां संलिप्तता दृश्यते चेत् तस्य/तस्याः प्रवेशनिरस्तीकरणस्याधिकारो विश्वविद्यालयस्य पार्श्वे भविष्यति।
7. विश्वविद्यालये प्रविष्टाः छात्राः एकस्मिन्नेव सत्रे अन्यत्र प्रवेशाय अनर्हाः भविष्यन्ति। यदि कश्चन छात्रः एवं करोति चेत् सः स्वविरोधे अनुशासनात्मकप्रक्रियार्थं स्वयमेवोत्तरदायी भविष्यति।
8. भारतसर्वकारस्यादेशानुपालनाय स्नातकस्तरे पर्यावरणविषयस्याध्ययनमावश्यकं भविष्यति।
9. ये छात्राः बी.ए. (संस्कृतम्) तत्समं वा उपाधिं प्राप्तवन्तः, ते आचार्यस्तरे साहित्यम्/धर्मशास्त्रम्/सांख्ययोगः/दर्शनम्/फलितज्योतिषम्/कर्मकाण्डविषयं स्वीकर्तुं समर्थाः भविष्यन्ति।
10. विश्वविद्यालयेन संज्वाल्यमाने योगाचार्यपाठ्यक्रमे छात्र-छात्राणां प्रवेशाय अधिकतममायुः 30 वर्षात्मकं निर्धारितमस्ति।
11. विश्वविद्यालयीयपरम्परागतविषयेषु न्यूनातिन्यूनापञ्चात्मिकायां छात्रसंख्यायां सत्यां स्थायी प्रवेशो दास्यते। इतो न्यूनायां छात्रसंख्यायां स्थायी प्रवेशः न दास्यते, येन छात्रस्य शुल्कः प्रत्यावर्तयिष्यते।
12. विश्वविद्यालयीयाधुनिकविषयेषु न्यूनातिन्यूनादशात्मिकायां छात्रसंख्यायां सत्यां स्थायी प्रवेशो दास्यते। इतो न्यूनायां छात्रसंख्यायां स्थायी प्रवेशः न दास्यते, येन छात्रस्य शुल्कः प्रत्यावर्तयिष्यते।
13. यः छात्रः/छात्रा विश्वविद्यालयसम्बद्धे कस्मिंश्चिदपि महाविद्यालये अध्ययनरतः/अध्ययनरता अस्ति। यदि सः छात्रः/सा छात्रा सत्रमध्ये शास्त्रिकक्षायाः द्वितीये/तृतीये/चतुर्थे/पंचमे/षष्ठे सत्रे आचार्यकक्षायाः द्वितीये/तृतीये/चतुर्थे सत्रे प्रवेशमिच्छेत्तर्हि अधोनिर्दिष्टेष्वनुबन्धेषु उक्तः छात्रः/छात्रा अपि विश्वविद्यालयस्य विभिन्नेषु विभागेषु प्रवेशाय अर्हः/अर्हा भविष्यति-

- क) विश्वविद्यालयीयसम्बद्धविभागे स्थानं रिक्तं भवेत्।
- ख) सत्रमध्ये शास्त्रि/आचार्य-कक्षासु प्रवेशेच्छुना अभ्यर्थिना विश्वविद्यालयीय-सम्बद्धविभागाध्यक्ष-सम्बद्धमहाविद्यालयीयप्राचार्ययोः पारस्परिकसम्मतिपत्रं (अनापत्ति/स्वीकृतिपत्रम्) निर्धारितप्रवेशशुल्केन अपेक्षितपत्रैश्च सह कार्यालये प्रस्तोतव्यं भविष्यति।
- ग) सत्रस्य मध्ये प्रवेशाय पूर्वपरीक्षायां प्रतिशतं न्यूनतमैः षष्ट्या अङ्कैः सह उत्तीर्णः छात्रः अर्हं भविष्यति।
- घ) उक्तप्रवेशप्रक्रिया परीक्षाफलप्रकाशनतिथितः आरम्भ्य 15 दिनाशयन्तरे सम्पन्ना भविष्यति। उक्तावधेरनन्तरं प्रवेशप्रक्रिया न सम्भविष्यति।
- ङ) शिक्षाशास्त्रप्रवेशादौ विश्वविद्यालयीयछात्रत्वारक्षणलाभः तस्मै छात्राय एवं दास्यते यः विश्वविद्यालयतः शास्त्रिकक्षायां न्यूनतमचतुर्णाम् आचार्यकक्षायां न्यूनतमत्रयाणां च सत्राणां परीक्षासु उत्तीर्णः स्यात्।
14. राष्ट्रियशिक्षानीति:2020 (NEP 2020) इति सम्बद्धः शास्त्रिकक्षायाः पाठ्यक्रमः पृथक्तया विश्वविद्यालयस्य वेबसाइट मध्ये द्रष्टव्यः।
15. षाण्मासिक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमेषु प्रवेशः प्रथम सत्रांशे तथा द्वितीयसत्रांशे प्रदास्यते।

प्रवेश नियम

- विधि मान्य संस्था से प्राक् शास्त्री/उत्तरमध्यमा /संस्कृत विषय के साथ इण्टरमीडिएट अथवा सीनियर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी/ अभ्यर्थिनी शास्त्री कक्षा में प्रवेश हेतु अर्ह होंगे। सत्र 2023-24 से शास्त्री पाठ्यक्रम NEP 2020 के अनुरूप संचालित हो चुका है। इण्टरमीडिएट अथवा सीनियर सेकेण्डरी स्तर पर जिन छात्रों के पास संस्कृत विषय नहीं है, ऐसे छात्रों को विश्वविद्यालय / महाविद्यालय में निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। उक्त प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र वेद, व्याकरण, साहित्य फलित ज्योतिष पुराणेतिहास आदि पारम्परिक विषय में प्रवेश हेतु अर्ह होंगे। विस्तृत विवरण हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाईट का अवलोकन करें।
- प्रवेश के समय मूल प्रमाण पत्रों के साथ सम्बन्धित विभागाध्यक्ष के सम्मुख उपस्थित होना होगा।
- प्रवेश तिथि के बाद अविचारित आवेदन पत्र स्वतः ही निरस्त माने जायेंगे।
- उत्तराखण्ड राज्य में अन्य प्रदेशों से आये हुए छात्र/छात्राओं को पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से देना होगा।
- सी.बी.एस.ई. द्वारा अंगीकृत ग्रेडिंग व्यवस्था को विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए स्वीकार किया जाता है।
- विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्ति के पश्चात् यदि कोई छात्र/छात्रा अनुशासनहीनता में लिप्त पाया जाता है तो

विश्वविद्यालय के पास उसके प्रवेश के निरस्तीकरण का अधिकार होगा।

7. विश्वविद्यालय में प्रविष्ट छात्र/छात्राएँ एक ही सत्र में अन्यत्र प्रवेश नहीं ले सकेंगे। यदि कोई छात्र/छात्रा ऐसा करता है तो वह अपने विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये स्वयं जिम्मेदार होगा।
8. भारत सरकार के आदेश के अनुपालन में स्नातक स्तर पर पर्यावरण विषय का अध्ययन अनिवार्य रूप से करना होगा।
9. जिन छात्रों ने शास्त्री/बी.ए. (संस्कृत) की उपाधि प्राप्त कर ली है, वे आचार्य स्तर में साहित्य/फलित ज्योतिष/ सर्वदर्शन/कर्मकाण्ड विषय में प्रवेश ले सकते हैं।
10. विश्वविद्यालय द्वारा संचालित योगाचार्य पाठ्यक्रम में छात्र-छात्राओं की प्रवेश हेतु अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गयी है।
11. विश्वविद्यालय में परम्परागत विषय में कम से कम 5 छात्र संख्या होने पर प्रवेश स्थायी दिया जायेगा छात्र संख्या 5 से कम होने पर प्रवेश स्थायी नहीं दिया जायेगा जिससे छात्र का शुल्क वापस किया जायेगा।
12. विश्वविद्यालय में आधुनिक विषय में कम से कम 10 छात्र संख्या होने पर प्रवेश स्थायी दिया जायेगा छात्र संख्या 10 से कम होने पर प्रवेश स्थायी नहीं दिया जायेगा जिससे छात्र का शुल्क वापस किया जायेगा।
13. जो छात्र/छात्रा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी भी महाविद्यालय में अध्ययनरत है। यदि वह छात्र/छात्रा सत्र के मध्य शास्त्र द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/षष्ठ सेमिस्टर में तथा आचार्य द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ सेमिस्टर में प्रवेश लेना चाहे तो निम्नांकित शर्तों पर उक्त छात्र/छात्रा को भी विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में प्रवेश दिया जा सकता है—

क) विश्वविद्यालय सम्बद्ध विभाग में स्थान रिक्त होना चाहिए।

ख) सत्र के मध्य में शास्त्री/आचार्य कक्षाओं में प्रवेश चाहने वाले छात्र/छात्रा को विश्वविद्यालय सम्बद्ध विभागाध्यक्ष एवं सम्बद्ध महाविद्यालयीय प्राचार्य का पारस्परिक सम्मति पत्र (अनापत्ति/स्वीकृति पत्र) निर्धारित प्रवेश शुल्क एवं प्रवेश के लिए अपेक्षित प्रपत्रों के साथ कार्यालय में जमा करना होगा।

ग) सत्र के मध्य में प्रवेश हेतु पूर्व परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण छात्र/छात्रा ही अर्ह होगा/होगी।

घ) उक्त प्रवेश प्रक्रिया परीक्षाफल निर्गत होने से 15 दिन की अवधि तक ही सम्पन्न होगी। उक्त अवधि के उपरान्त प्रवेश प्रक्रिया सम्भव नहीं होगी।

ङ) शिक्षाशास्त्री प्रवेश आदि में विश्वविद्यालयीय छात्र/छात्रा होने का लाभ उसी छात्र/छात्रा को दिया जायेगा जो विश्वविद्यालय से शास्त्री कक्षा में न्यूनतम 04 सेमिस्टर और आचार्य कक्षा में न्यूनतम 02 सेमिस्टर की परीक्षाएं उत्तीर्ण किया हो।

14. राष्ट्रीय शिक्षानीति 2020 से सम्बद्ध शास्त्री कक्षा का पाठ्यक्रम पृथक्तरया विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर द्रष्टव्य है।
15. षाण्मासिक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रथम सत्रांश तथा द्वितीय सत्रांश में प्रदान किया जाएगा।

प्रवेशाय अपेक्षितानि प्रमाणपत्राणि

1. पूर्वोत्तीर्णपरीक्षाणाम् उत्तीर्णताविषये विश्वविद्यालयपक्षतः अथवा मान्यताप्राप्तसंस्थानतः प्राप्तं प्रमाणपत्रम्।
2. जन्मतिथिप्रमाणपत्रम् (मैट्रिक अथवा तत्समकक्षपरीक्षायाः प्रमाणपत्रम् यस्मिन् जन्मतिथिरपि प्रमाणिता स्यात्)।
3. चरित्रप्रमाणपत्रम् (पूर्वसंस्थया प्रमाणितम्)
4. स्थानान्तरणप्रमाणपत्रम् (टी.सी.)/निष्क्रमणप्रमाणपत्रम् (माइग्रेशन सार्टिफिकेट) (विश्वविद्यालयः विशेषपरिस्थितिषु कमपि छात्रं स्थानान्तरणप्रमाणपत्रं/ निष्क्रमणप्रमाणपत्रञ्च भविष्ये प्रवेशानन्तरं समर्पयितुं/दातुं वा समयं प्रदास्यति, परं यदि निश्चितावधौ प्रमाणपत्रं न दीयते तर्हि तस्य छात्रस्य प्रवेशो निरस्तो भविष्यति।)
5. पूर्वपरीक्षायाः अङ्कपत्रम् (मार्कशीट)।
6. क्रीडा/पाठ्येतरक्रियाणां प्रवीणताप्राप्तेः प्रमाणपत्रम् (यदि स्यात्)।
7. आधारस्य छायाप्रति।
8. नवीनतमानि चत्वारि स्वच्छाया चित्राणि।

प्रवेश के लिए अपेक्षित प्रमाणपत्र

1. पूर्वोत्तीर्ण परीक्षाओं के उत्तीर्णता विषयक विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त प्रमाण पत्र।
2. जन्मतिथि प्रमाण पत्र (मैट्रिक अथवा तत्समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र) जिनमें जन्मतिथि भी प्रमाणित हो।
3. चरित्र प्रमाण पत्र (पूर्व संस्था के प्राचार्य द्वारा प्रमाणित)
4. स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी.सी.)/निष्क्रमण प्रमाण पत्र (माइग्रेशन सर्टिफिकेट)। विशेष परिस्थिति में इस प्रमाणपत्र के अभाव में अस्थायी प्रवेश दिया जा सकता है। किन्तु प्रदत्त अवधि में यह प्रमाणपत्र जमा न करने पर प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा।
5. पूर्व में उत्तीर्ण परीक्षा का अंकपत्र।
6. क्रीडा/पाठ्येतर कार्यकलापों में प्रवीणता प्राप्ति का प्रमाणपत्र (यदि हो)।
7. आधार कार्ड की छायाप्रति।
8. नवीनतम 4 अपने छायाचित्र (फोटो)

प्रवेशनिरसनं प्रतीक्षकाणां प्रवेशश्च

ये छात्राः प्रवेशे सत्यपि प्रवेशसम्बन्धिनीम् औपचारिकतां यथासमयं न पूरयन्ति तेषां नाम प्रवेश-सूचीतः स्वत एव निरस्तं भविष्यति, तथा च तस्य स्थाने प्रतीक्षासूचीस्थितानां छात्राणां वरीयताक्रमणे प्रवेशो भविष्यति।

प्रवेश-निरस्ति और प्रतीक्षकों का प्रवेश

जो छात्र प्रवेश स्वीकृत हो जाने पर प्रवेश सम्बन्धी समस्त औपचारिकताएं यथा समय पूर्ण नहीं करेंगे उनके नाम प्रवेश सूची से निरस्त कर दिये जायेंगे तथा उनके स्थान पर प्रतीक्षा सूची में रखे गये छात्रों को वरीयता क्रम में प्रवेश दिया जायेगा।

विशेष-सूचना

यदि कस्यचित् छात्रस्य छात्रायाः वा आवेदनपत्रेषु प्रमाणपत्रेषु च कापि असत्या सूचना प्राप्यते अथवा उत्तराखण्ड-संस्कृत-विश्वविद्यालयद्वारा निर्धारितयोग्यताः अपूर्णाः सन्ति चेद् आरम्भे प्रवेशे जातेऽपि झटिति तस्य छात्रस्य प्रवेशो निरस्तो भविष्यति। अथ च तत्कृते विश्वविद्यालयस्य किमपि उत्तरदायित्वं न भविष्यति। षाण्मासिक-प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रमेषु कार्यालयादिषु सेवारताः अभ्यर्थिनोऽपि प्रवेशं नेतुं शक्नुवन्ति। विश्वविद्यालयद्वारा विवरणिकायामस्याम्, इतः प्राक् अथवा समये-समये प्रकाशितेषु नियमेषु विभेदे सति विश्वविद्यालयद्वारा निर्दिष्टनियमाः एव अन्तिमरूपेण स्वीकार्याः भविष्यन्ति। विश्वविद्यालयस्य जालपुटम् www.usvv.ac.in नवीनतमसूचनानामवलोकनार्थं नूनं द्रष्टव्यम्।

विशेष सूचना

आवेदन पत्र एवं प्रमाण पत्रादि में कोई भी असत्य सूचना देने पर और उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित योग्यताओं में कमी होने पर आरम्भ में प्रवेश हो भी गया हो तो भी बिना कारण बताये उस छात्र का प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा और इसके लिए विश्वविद्यालय का कोई भी उत्तरदायित्व नहीं होगा। छः मास के प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रमों में कार्यालय आदि में सेवारत अभ्यर्थी भी प्रवेश ले सकेंगे।

विश्वविद्यालय द्वारा इस विवरणिका में, इनसे पूर्व या समय-समय पर प्रकाशित या निर्दिष्ट नियमों में भिन्नता प्रतीत होने पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्दिष्ट नियम अन्तिम रूप से स्वीकार्य होंगे। नवीन जानकारियों के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.usvv.ac.in अवश्य देखें।

विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न नवीन पाठ्यक्रमों के शुल्कों का विवरण

क्र.सं.	पाठ्यक्रम विवरण	धरोहर राशि शुल्क (एफ.डी.)	वार्षिक शुल्क	पाठ्यक्रम शुल्क
1.	भारतीय ज्ञान परम्परा प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम 06 माह	-	रू.6000.00 (रू. छः हजार मात्र) परीक्षा शुल्क रू.600.00	
2.	भागवत शिरोमणि (P.G. Diploma in Shrimad Bhagvat) एक वर्षीय	-	रू.10000.00 (रू. दस हजार मात्र) परीक्षा शुल्क रू.1000.00 प्रति सेमेस्टर	
3	तीर्थाटन में छः माह का प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	-	रू.6000.00 (रू. छः हजार मात्र) परीक्षा शुल्क रू.600.00	
4	नाट्यशास्त्र में षाण्मासिक प्रमाण पत्र	-	रू.6000.00 (रू. छः हजार मात्र) परीक्षा शुल्क रू.600.00	
5	नाट्यशास्त्र पी.जी. डिप्लोमा (एक वर्षीय) पाठ्यक्रम	-	रू.10000.00 (रू. दस हजार मात्र) परीक्षा शुल्क रू.1000.00 प्रति सेमेस्टर	
6	संस्कृत पत्रकारिता में पी.जी. डिप्लोमा (एक वर्षीय) पाठ्यक्रम	-	रू.10000.00 (रू. दस हजार मात्र) परीक्षा शुल्क रू.1000.00 प्रति सेमेस्टर	
7	शिशु संस्कृतम् व किशोर संस्कृतम् (ऑनलाईन/ऑफलाईन) शुल्क रू. 500/- प्रति छात्र		रू.500.00 (रू. पाँच सौ मात्र)	
8	पर्यावरणीय स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं सततता में पी.जी. डिप्लोमा (एक वर्षीय) पाठ्यक्रम		रू.10000.00 (रू. दस हजार मात्र) परीक्षा शुल्क रू.1000.00 प्रति सेमेस्टर	
9	बी.एस.सी. योग (स्नातक स्तर) विश्वविद्यालय परिसर		रू.10000.00 (रू. दस हजार मात्र) परीक्षा शुल्क रू.1000.00 प्रति सेमेस्टर	

विश्वविद्यालय से अस्थाई सम्बद्धता/मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों, निजी शिक्षण संस्थानों हेतु शुल्कों का विवरण

क्र.सं.	पाठ्यक्रम विवरण	धरोहर राशि शुल्क (एफ.डी.)	वार्षिक शुल्क	पाठ्यक्रम शुल्क
10.	बी.एस.सी. योग (स्नातक स्तर) समयावधि 04 वर्ष	रु.10,00,000 (रु. दस लाख) विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों (परम्परागत विषयों को छोड़कर)	रु.20,000.00 (रु.बीस हजार मात्र) परीक्षा शुल्क रु.1,000.00 प्रति सेमेस्टर	रु.2,00,000.00 रु.दो लाख मात्र
	बी.एस.सी. योग (स्नातक स्तर) समयावधि 04 वर्ष	रु.2,00,000 (रु. दो लाख) विश्वविद्यालय से सम्बद्ध केवल संस्कृत महाविद्यालयों हेतु	रु.20,000.00 (रु.बीस हजार मात्र) परीक्षा शुल्क रु.1,000.00 प्रति सेमेस्टर	रु.1,00,000.00 रु.एक लाख मात्र
11.	एम.एस.सी. योग चिकित्सा (स्नातकोत्तर स्तर) समयावधि 02 वर्ष केवल विश्वविद्यालय परिसर हेतु		रु.10,000.00 (रु.दस हजार मात्र) परीक्षा शुल्क रु.1000.00 प्रति सेमेस्टर	
12.	पी.जी. डिप्लोमा योग चिकित्सा समयावधि 01 वर्ष		रु.10,000.00 (रु.दस हजार मात्र) परीक्षा शुल्क रु.1000.00 प्रति सेमेस्टर	
13.	पी.जी. डिप्लोमा प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान समयावधि 01वर्ष		रु.10,000.00 (रु.दस हजार मात्र) परीक्षा शुल्क रु.1000.00 प्रति सेमेस्टर	
14.	पी.जी. डिप्लोमा योग एवं वैकल्पिक चिकित्सा समयावधि 01वर्ष		रु.10,000.00 (रु.दस हजार मात्र) परीक्षा शुल्क रु.1000.00 प्रति सेमेस्टर	
15.	प्राकृतिक चिकित्सा प्रमाण-पत्र समयावधि 06 माह		रु.6,000.00 (रु.छः हजार मात्र) परीक्षा शुल्क पृथक् से देय होगा जो पूर्व से निर्धारित है	
16.	योग शिक्षक प्रमाण-पत्र (Online) समयावधि 03माह		रु.4,000.00 (रु.चार हजार मात्र) परीक्षा शुल्क रु.600.00	
17.	कॉर्पोरेट वेलनेस योग प्रमाण पत्र (Online) समयावधि 03 माह		रु.4,000.00 (रु.चार हजार मात्र) परीक्षा शुल्क रु.600.00	

क्र.सं.	पाठ्यक्रम विवरण	धरोहर राशि शुल्क (एफ.डी.)	वार्षिक शुल्क	पाठ्यक्रम शुल्क
18.	योग एवं जीवनशैली प्रबन्धन योग प्रमाण पत्र (Online) समयावधि 03 माह		रु.4,000.00 (रु.चार हजार मात्र) परीक्षा शुल्क रु.600.00	
19.	योग एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (Online) समयावधि 01 माह		रु.2,500.00 (रु.पच्चीस सौ मात्र) परीक्षा शुल्क रु.1,000.00	
20.	कुण्डली विज्ञान में 06 माह का सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम (ऑनलाईन/ऑफलाईन) समयावधि 06 माह		रु.6,000.00 (रु.छः हजार मात्र) परीक्षा शुल्क रु.600.00	
21.	कम्प्युनिकेटिव इंग्लिश प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम (छः माह)		रु.6,000.00 (रु.छः हजार मात्र) परीक्षा शुल्क रु.600.00	
22.	पर्यावरणीय जागरूकता पाठ्यक्रम (छः माह)		रु.6,000.00 (रु.छः हजार मात्र) परीक्षा शुल्क रु.600.00	

- नोट:-** (i) बी.एस.सी. योग (स्नातक स्तर) पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राओं हेतु आयु सीमा अधिकतम 30 वर्ष होगी।
(ii) एम.एस.सी. योग चिकित्सा (स्नातकोत्तर स्तर) पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राओं हेतु आयु सीमा अधिकतम 30 वर्ष होगी।
(iii) यदि किसी छात्र-छात्रा ने योग डिप्लोमा, प्रमाण पत्र तथा द्विवर्षीय योगाचार्य पाठ्यक्रम में नियमित रूप से अध्ययन किया हो तो उन्हें 02 वर्ष की आयु सीमा में छूट प्रदान की जायेगी।
(iv) योगाचार्य पाठ्यक्रम जो परिसर एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों, निजी शिक्षण संस्थानों में संचालित हो रहे हैं सभी में आयु सीमा 30 वर्ष होगी।

विश्वविद्यालय छात्रावास का वार्षिक शुल्क

- (i) विश्वविद्यालय में परम्परागत (शास्त्री एवं आचार्य) विषयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों हेतु छात्रावास शुल्क रु.800.00 वार्षिक एक मुश्त देय होगा।
(ii) विश्वविद्यालय में परम्परागत (शास्त्री एवं आचार्य) विषयों को उत्तीर्ण कर व्यावसायिक एवं आधुनिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्रों हेतु छात्रावास का शुल्क रु.800.00 वार्षिक एक मुश्त देय होगा।
(iii) विश्वविद्यालय में परम्परागत विषयों को छोड़कर अन्य विषयों:- व्यावसायिक एवं आधुनिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्रों हेतु रु.3000.00 वार्षिक एक मुश्त देय होगा।
(iv) विश्वविद्यालय में पीएच.डी. के छात्रों हेतु छात्रावास शुल्क रु.12000.00 (रु. बारह हजार) वार्षिक दो किस्तों में जमा करना होगा।

विश्वविद्यालयपरिसरे सञ्चालितपाठ्यक्रमाः शुल्कविवरणञ्च

क्र.सं.	पाठ्यक्रमनाम	अवधि:	उपलब्धविषयाः	छात्र संख्या	प्रवेशार्हता	शुल्कविवरणम्	
						शिक्षणशुल्कम्	परीक्षाशुल्कम्
परम्परागतपाठ्यक्रमाः/आधुनिकविषयाश्च							
01	शास्त्री (सम्मानित) बी.ए. (आनर्स) (NEP 2020) इत्याधारितः	त्रिवर्षीयः	शुक्लयजुर्वेदः नव्यव्याकरणम् ज्योतिषम् साहित्यम्	20	उत्तरमध्यमा/ संस्कृतेन सह समकक्ष- परीक्षोत्तीर्णः /प्रवेशपरीक्षोत्तीर्णः	1200.00	500.00 प्रतिसत्रम्
02	आचार्यः (एम.ए.) (सेमेस्टर पद्धतिः)	द्विवर्षीयः	शुक्लयजुर्वेद नव्यव्याकरणम् ज्योतिषम् साहित्यम् भाषा एवं आधुनिकज्ञानविज्ञानम् शिक्षाशास्त्रम् इतिहासः	20	स्नातकः/ समकक्ष परीक्षोत्तीर्णः (सम्बन्धिते विषये)	1200.00	500.00 प्रतिसत्रम्
03	विद्यावारिधिः (पी-एच.डी.)*		शुक्लयजुर्वेदः नव्यव्याकरणम् ज्योतिषम् साहित्यम् भाषा एवं आधुनिकज्ञानविज्ञानम् योगविज्ञानम् शिक्षाशास्त्रम् आँग्लभाषा इतिहासः पर्यावरणविज्ञानम्		स्नातकोत्तर (सम्बन्धिते विषये) 55% अंकाः		---

* पृथक् विवरणिका द्रष्टव्या।

विश्वविद्यालय परिसर में सञ्चालित पाठ्यक्रम व शुल्क विवरण

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि:	उपलब्ध विषया	प्रवेशार्हता	शुल्कविवरण	
					शिक्षणशुल्क	परीक्षाशुल्क
परम्परागत पाठ्यक्रम एवम् आधुनिक विषय						
01	शास्त्री (सम्मानित) बी.ए. (आनर्स) (NEP 2020) पर आधारित	त्रिवर्षीय	शुक्लयजुर्वेद नव्यव्याकरण ज्योतिष साहित्य	उत्तरमध्यमा/ संस्कृत के साथ समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण/प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण	1200.00	500.00 प्रतिसत्रम्
02	आचार्य (एम.ए.) द्विवर्षीय (सेमेस्टर पद्धति)		शुक्लयजुर्वेद नव्यव्याकरण ज्योतिष साहित्य भाषा एवं आधुनिक ज्ञान विज्ञान शिक्षाशास्त्र इतिहास	स्नातक समकक्ष परीक्षोत्तीर्ण (सम्बन्धित विषय में)	1200.00	500.00 प्रतिसत्रम्
03	विद्यावारिधि (पी-एच.डी.)*		शुक्लयजुर्वेद नव्यव्याकरण ज्योतिष साहित्य भाषा एवं आधुनिक ज्ञान विज्ञान योगविज्ञान शिक्षाशास्त्र अंग्रेजी इतिहास पर्यावरण विज्ञान	सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर 55% अंक		---

* पृथक से विवरणिका देखें।

विश्वविद्यालयपरिसरे सञ्चालिता: व्यवसायिकपाठ्यक्रमाः शुल्कविवरणञ्च

क्र.सं.	पाठ्यक्रमनाम	अवधि:	उपलब्ध-विषयाः	छात्र संख्या	प्रवेशार्हता	शुल्कविवरणम्	
						शिक्षणशुल्क	परीक्षाशुल्क
04	*शिक्षाशास्त्री (बी.एड.)	द्विवर्षीयः	शिक्षाशास्त्रम्	50	स्नातक-उपाधि: (संस्कृतेन सह)	12,050.00 प्रथम वर्षम्	9,450.00 द्वितीयवर्षम्
05	योगाचार्यः (एम.ए.)	द्विवर्षीय (सेमेस्टर पद्धतिः)	योगविज्ञानम्	40	स्नातक-उपाधि:	10000.00 वार्षिकम्	1000.00 प्रतिसत्रम्
06	आचार्यः	द्विवर्षीय (सेमेस्टर पद्धतिः)	पत्रकारिता जनसंचारश्च	20	स्नातक-उपाधि:	10000.00 वार्षिकम्	1000.00 प्रतिसत्रम्
07	पी.जी.डिप्लोमा	एकवर्षीय (सेमेस्टर पद्धतिः)	योगविज्ञानम् ज्योतिषम् वास्तुशास्त्रम् कर्मकाण्ड-पौरोहित्यम् कम्प्यूटर एप्लीकेशन	10 10 10 10 10	स्नातक-उपाधि:	10000.00 वार्षिकम्	1000.00 प्रतिसत्रम्
08	**प्रमाणपत्रम्	षाण्मासिकम्	#योगविज्ञानम् #कम्प्यूटर एप्लीकेशन संस्कृतम्, कर्मकाण्डम् कम्प्युनेकेटिव अंग्रेजी पर्यावरण जागरुकता	10 10 10 10 10	उत्तर मध्यमा/ इण्टरमीडिएट/ समकक्ष	6000.00 6000.00 500.00 500.00 500.00	600.00 600.00

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	उपलब्ध विषय	छात्र संख्या	प्रवेशार्हता	शुल्कविवरण	
						शिक्षणशुल्क	परीक्षाशुल्क
04	*शिक्षाशास्त्री (बी.एड.)	द्विवर्षीय	शिक्षा शास्त्र	छात्र संख्या	स्नातक-उपाधि संस्कृत के साथ	12,050.00 प्रथम वर्ष	9,450.00 द्वितीयवर्ष
05	योगाचार्य (एम.ए.)	द्विवर्षीय (सेमेस्टर पद्धति)	योगविज्ञान	40	स्नातक-उपाधि	10000.00 वार्षिक	1000.00 प्रतिसत्र
06	आचार्य	द्विवर्षीय (सेमेस्टर पद्धति)	पत्रकारिता एवं जनसंचार	20	स्नातक-उपाधि	10000.00 वार्षिक	1000.00 प्रतिसत्र
07	पी.जी.डिप्लोमा	एकवर्षीय (सेमेस्टर पद्धति)	योगविज्ञान ज्योतिष वास्तुशास्त्र कर्मकाण्ड-पौरोहित्य कम्प्यूटर एप्लीकेशन	10 10 10 10 10	स्नातक-उपाधि	10000.00 वार्षिक	1000.00 प्रतिसत्र
08	**प्रमाणपत्र	षाण्मासिक	#योगविज्ञान #कम्प्यूटर एप्लीकेशन संस्कृत, कर्मकाण्ड कम्प्युनेकेटिव अंग्रेजी पर्यावरण जागरुकता	10 10 10 10 10	उत्तर मध्यमा/ इण्टरमीडिएट/ समकक्ष	6000.00 6000.00 500.00 500.00 500.00	600.00 600.00

परिसर में अध्ययनरत छात्रों के लिए 2500.00 रू० * पृथक विवरणिका देखें। ** सेवारत अभ्यर्थी भी प्रवेश ले सकते हैं।

विद्यावारिधि (पीएच.डी.) सम्बद्धविभिन्नशुल्कानां विवरणम्

1.	प्रवेशपरीक्षाशुल्कः	रु. 1000.00
2.	विद्यावारिधि (पीएच.डी.) एकसत्रीयानिवार्यपाठ्यक्रमे प्रवेशाय परामर्श(काउंसलिंग)शुल्कः	रु. 1000.00
प्री.पीएच.डी. एकसत्रीयानिवार्यपाठ्यक्रमाय (कोर्स वर्क) शुल्कानां विवरणम्		
1.	एकसत्रीयानिवार्यपाठ्यक्रम(कोर्स वर्क)आवेदनपत्रशुल्कः	रु. 20.00
2.	एकसत्रीयानिवार्यपाठ्यक्रमाय (कोर्स वर्क) शुल्कः	रु. 1000.00
3.	मासिकशुल्कः	रु. 500.00
4.	पुस्तकालयस्य मासिकशुल्कः	रु. 200.00
5.	पुस्तकालयशुल्कः (सुरक्षाधनराशिः)	रु. 1000.00
6.	परिचयपत्रशुल्कः आहत्य सम्पूर्णधनराशियोगः	रु. 50.00 रु. 2770.00
7.	एकसत्रीयानिवार्यपाठ्यक्रमस्य (कोर्स वर्क)परीक्षा -आवेदनपत्रशुल्कः	रु. 20.00
8.	नामाङ्कनशुल्कः	रु. 100.00
9.	परीक्षाशुल्कः आहत्य सम्पूर्णधनराशियोगः	रु. 500.00 रु. 620.00
10.	विद्यावारिधि (पीएच.डी.) एकसत्रीयानिवार्यपाठ्यक्रम(कोर्स वर्क) लब्धांकपत्र-द्वितीयप्रति-शुल्कः	रु. 200.00
11.	विद्यावारिधि (पीएच.डी.) एकसत्रीयानिवार्यपाठ्यक्रम(कोर्स वर्क) परिचयपत्र-द्वितीय प्रति शुल्क	रु. 100.00
12.	विद्यावारिधि (पीएच.डी.) एकसत्रीयानिवार्यपाठ्यक्रमे (कोर्स वर्क) उत्तीर्णे सति शोधसमितेः (R.D.C.) उपवेशनं भविष्यति यत्र साक्षात्कारे सम्पन्ने सति पंजीकरण भविष्यति । शुल्कानां विवरणमित्थं भविष्यति -	
विद्यावारिधि (पीएच.डी.) सम्बन्धित शुल्कानां विवरणम्-		
1	विद्यावारिधि (पीएच.डी.) पंजीकरणशुल्कः	रु. 5000.00
2	त्रैमासिकप्रगतिविवरणशुल्कः	रु. 1050.00
3	मासिकशुल्कः	रु. 250.00
4	पुस्तकालयस्य मासिकशुल्कः	रु. 100.00
5	आहत्य सम्पूर्णधनराशियोगः	रु. 350.00
6	त्रैमासिक प्रगति विवरणम् विलम्ब शुल्कः	रु. 100.00
7	शोध-प्रबन्ध समर्पणशुल्कः	रु. 5000.00
8	संशोधनान्तरं शोध-प्रबन्ध समर्पणशुल्कः	रु. 5000.00
9	उपाधिशुल्कः	रु. 500.00
10	अस्थायिप्रमाणपत्र (प्रोविजनल) शुल्कः	रु. 100.00

विद्यावारिधि (पीएच.डी.) से सम्बन्धित विभिन्न शुल्कों का विवरण

1.	प्रवेश परीक्षा शुल्क	रु. 1000.00
2.	विद्यावारिधि (पीएच.डी.) एक सत्रीय अनिवार्य पाठ्यक्रम कोर्स वर्क में प्रवेश के लिए काउंसलिंग शुल्क	रु. 1000.00
प्री.पीएच.डी एक सत्रीय अनिवार्य पाठ्यक्रम (कोर्स वर्क) हेतु शुल्कों का विवरण		
1.	एक सत्रीय अनिवार्य पाठ्यक्रम (कोर्स वर्क) के आवेदन पत्र शुल्क	रु. 20.00
2.	एक सत्रीय अनिवार्य पाठ्यक्रम (कोर्स वर्क) हेतु शुल्क	रु. 1000.00
3.	मासिक शुल्क	रु. 500.00
4.	पुस्तकालय मासिक शुल्क	रु. 200.00
5.	पुस्तकालय शुल्क (Refundable)	रु. 1000.00
6.	परिचय पत्र शुल्क	रु. 50.00
	कुल योग	रु. 2770.00
7.	एक सत्रीय अनिवार्य पाठ्यक्रम (कोर्स वर्क) के परीक्षा आवेदन पत्र शुल्क	रु. 20.00
8.	नामांकन शुल्क	रु. 100.00
9.	परीक्षा शुल्क	रु. 500.00
	कुल योग	रु. 620.00
10.	विद्यावारिधि (पीएच.डी.) एक सत्रीय अनिवार्य पाठ्यक्रम-कोर्स वर्क द्वितीय प्रति लब्धांक पत्र शुल्क	रु. 200.00
11.	विद्यावारिधि (पीएच.डी.) एक सत्रीय अनिवार्य पाठ्यक्रम-कोर्स वर्क द्वितीय प्रति परिचय पत्र शुल्क	रु. 100.00
12.	विद्यावारिधि (पीएच.डी.) एक सत्रीय अनिवार्य पाठ्यक्रम (कोर्स वर्क) उत्तीर्ण करने के पश्चात् शोध समिति (R.D.C.) की बैठक आहूत की जायेगी जिसमें साक्षात्कार सम्पन्न होने के उपरान्त पंजीकरण किया जायेगा। शुल्कों का विवरण निम्नवत् होगा-	
विद्यावारिधि (पीएच.डी.) से सम्बन्धित शुल्कों का विवरण-		
1	विद्यावारिधि (पीएच.डी.) पंजीकरण शुल्क	रु. 5000.00
2	त्रैमासिक प्रगति विवरण शुल्क	रु. 1050.00
3	मासिक शुल्क	रु. 250.00
4	पुस्तकालय मासिक शुल्क	रु. 100.00
5	आहत्य सम्पूर्ण धनराशि योग	रु. 350.00
6	त्रैमासिक प्रगति विवरण विलम्ब शुल्क	रु. 100.00
7	शोध-प्रबंध जमा कराने का शुल्क	रु. 5000.00
8	संशोधन के बाद शोध-प्रबंध जमा करने का शुल्क	रु. 5000.00
9	उपाधि शुल्क	रु. 500.00
10	अस्थाई प्रमाण पत्र (प्रोविजनल) शुल्क	रु. 100.00

शुल्कविवरणम्

क्र.सं.	विवरणम्	निर्धारितशुल्कः
01	प्रवेशशुल्कः	200.00
02	विभागशुल्कः	100.00
03	परिचय-पत्र-शुल्कः	50.00
04	वाचनालय- पुस्तकालय-शुल्कः	150.00
05	स्थानान्तरणप्रमाणपत्र (टी.सी.) शुल्कः	100.00
06*	निर्धनछात्रसहायताशुल्कः	200.00
07	क्रीडाशुल्कः	200.00
08	सांस्कृतिककार्यक्रमशुल्कः	100.00
09	वार्षिकपत्रिकाशुल्कः	100.00
10	अङ्ग्रेक्षणशुल्कः (प्रतिप्रश्नपत्रम्)	100.00
11	संज्ञणक (कम्प्यूटर)शुल्कः	100.00
12	विकासशुल्कः	200.00
13	नामाङ्कनशुल्कः	200.00
14	उपाधिशुल्कः	200.00
15	प्रव्रजनप्रमाणपत्रशुल्कः	100.00
16	छात्रकल्याणपरिषत्-शुल्कः (विश्वविद्यालयीयछात्राणाङ्कते)	50.00
17	अस्थायिप्रमाणपत्रशुल्कः	50.00
18	प्रमाणपत्र -द्वितीय -प्रति -शुल्कः	200.00
19	अंकपत्र -द्वितीय -प्रति -शुल्कः	50.00
20	पुस्तकालयसुरक्षाराशिः (स्नातकछात्राणाङ्कते)	500.00
21	पुस्तकालय -सुरक्षा -राशिः (स्नातकोत्तरछात्राणाङ्कते)	500.00
22**	क्रीडाशुल्कः (सम्बद्धमहाविद्यालयीयछात्राणाङ्कते)	200.00

*निर्धनछात्राणां साहाय्याय मा0 कुलपतिना त्रिसदस्यीया एका समितिः संघटिता भविष्यति ।

**सम्बद्धमहाविद्यालयेभ्यः क्रीडाशुल्करूपेण प्रतिछात्रं 200.00 द्विशतात्मको धनराशिः स्वीकरिष्यते ।

शुल्क विवरण

क्र.सं.	विवरण	निर्धारित शुल्क
01	प्रवेश शुल्क	200.00
02	विभाग शुल्क	100.00
03	परिचय-पत्र-शुल्क	50.00
04	वाचनालय पुस्तकालय शुल्क	150.00
05	स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) शुल्क	100.00
06*	निर्धन छात्र सहायता शुल्क	200.00
07	क्रीड़ा शुल्क	200.00
08	सांस्कृतिक कार्यक्रम शुल्क	100.00
09	वार्षिक पत्रिका शुल्क	100.00
10	अंङ्केक्षण शुल्क (प्रति प्रश्नपत्र)	100.00
11	कम्प्यूटर (संङ्गणक शुल्क)	100.00
12	विकास शुल्क	200.00
13	नामांकन शुल्क	200.00
14	उपाधि शुल्क	200.00
15	प्रब्रजन शुल्क	100.00
16	छात्र कल्याण परिषद् शुल्क (विश्वविद्यालय हेतु)	50.00
17	अस्थायी प्रमाणपत्र का शुल्क	50.00
18	प्रमाणपत्र की द्वितीय प्रति का शुल्क	200.00
19	अंकतालिका की द्वितीय प्रति का शुल्क	50.00
20	पुस्तकालय सुरक्षा राशि (स्नातक छात्रों के लिये)	500.00
21	पुस्तकालय सुरक्षा राशि (स्नातकोत्तर छात्रों के लिये)	500.00
22**	क्रीडा शुल्क सम्बद्ध महाविद्यालय हेतु	200.00

* निर्धन छात्रों की सहायता हेतु मा0 कुलपति द्वारा तीन सदस्यों की एक समिति गठित की जायेगी।

** सम्बद्ध महाविद्यालयों से क्रीड़ा शुल्क के रूप में प्रतिछात्र रू. 200.00 लिया जायेगा।

शिक्षाशास्त्रि (बी.एड.) पाठ्यक्रमशुल्क-विवरणम् (शैक्षिकसत्रम् 2025-27)

क्र.स.	विवरणम्	शुल्कविवरणम्	प्रथमवर्षाय निर्धारितशुल्कः	द्वितीयवर्षाय निर्धारितशुल्कः
01	प्रवेश-शुल्कः	200.00	200.00	–
02	विभाग-शुल्कः	100.00	100.00	
03	परिचय -पत्र-शुल्कः	50.00	50.00	
04	वाचनालय-पुस्तकालय-शुल्कः	150.00	75.00	75.00
05	निर्धन-छात्र-सहायता-शुल्कः	200.00	100.00	100.00
06	क्रीडा-शुल्कः	200.00	100.00	100.00
07	सांस्कृतिक-कार्यक्रम-शुल्कः	100.00	50.00	50.00
08	शिक्षाशास्त्रीयवार्षिकपत्रिकाशुल्कः	200.00	100.00	100.00
09	स्काउट/गाइड-शुल्कः	100.00	50.00	50.00
10	संकणक (कम्प्यूटर) शुल्कः	200.00	100.00	100.00
11	विकास-शुल्कः	200.00	200.00	
12	नामांकन-शुल्कः	200.00	200.00	
13	उपाधि-शुल्कः	200.00		200.00
14	छात्र-कल्याण-परिषद्-शुल्कः	50.00	50.00	
15	न्याय (सुरक्षित) धनराशिः	2000.00	2000.00	
16	शिक्षण-शुल्कः	15000.00	7500.00	7500.00
17	परीक्षा-शुल्कः	2000.00	1000.00 प्रतिसत्रम्	1000.00 प्रतिसत्रम्
18	प्रायोगिकपरीक्षा-शुल्कः	250.00	125.00	125.00
19	पत्रिकाशुल्कः	100.00	50.00	50.00
	सम्पूर्णःयोगः	21,500.00	12,050.00	9,450.00

शिक्षाशास्त्री (बी.एड.) पाठ्यक्रम शुल्क-विवरण (शैक्षिक सत्र 2025-27)

क्र.स.	विवरण	शुल्क विवरण	प्रथम वर्ष हेतु निर्धारित शुल्क	द्वितीय वर्ष हेतु निर्धारित शुल्क
01	प्रवेश-शुल्क	200.00	200.00	-
02	विभाग-शुल्क	100.00	100.00	
03	परिचय पत्र-शुल्क	50.00	50.00	
04	वाचनालय-पुस्तकालय-शुल्क	150.00	75.00	75.00
05	निर्धन-छात्र-सहायता-शुल्क	200.00	100.00	100.00
06	क्रीड़ा-शुल्क	200.00	100.00	100.00
07	सांस्कृतिक-कार्यक्रम-शुल्क	100.00	50.00	50.00
08	शिक्षाशास्त्रीय वार्षिक पत्रिका शुल्क	200.00	100.00	100.00
09	स्काउट/गाइड-शुल्क	100.00	50.00	50.00
10	कम्प्यूटर (संकणक शुल्क)	200.00	100.00	100.00
11	विकास-शुल्क	200.00	200.00	
12	नामांकन-शुल्क	200.00	200.00	
13	उपाधि-शुल्क	200.00		200.00
14	छात्र-कल्याण-परिषद्-शुल्क	50.00	50.00	
15	न्याय (सुरक्षित) धनराशि	2000.00	2000.00	
16	शिक्षण-शुल्क	15000.00	7500.00	7500.00
17	परीक्षा-शुल्क	2000.00	1000.00प्रति सेमेस्टर	1000.00प्रतिसेमेस्टर
18	प्रायोगिक परीक्षा-शुल्क	250.00	125.00	125.00
19	पत्रिका शुल्क	100.00	50.00	50.00
	सम्पूर्ण योग	21,500.00	12,050.00	9,450.00

सुरक्षितधनराशि:

- क. यदि प्रवेशप्राप्त्यनन्तरं मध्ये छात्रः विश्वविद्यालयं विहाय गमिष्यति, तदा सुरक्षितधनराशेः अतिरिक्तं यत् किमपि शुल्कं स्यात् तद् प्रत्यावर्तितं न भविष्यति।
- ख. उपर्युक्तधनराशिः वित्तपत्र (चेक) माध्यमेनैव प्रदास्यते।
- ग. सुरक्षितधनराशिः परीक्षाफलस्य प्रकाशनानन्तरम् अथवा सत्रावसानानन्तरम् एव प्राप्तुं शक्यते।।

सुरक्षितधनराशि

- क. यदि प्रवेश प्राप्ति के बाद बीच में छात्र विश्वविद्यालय छोड़कर जाता है, तो सुरक्षित धनराशि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क लौटाया नहीं जायेगा।
- ख. उपर्युक्त धनराशि केवल चेक माध्यम से ही देय होगी।
- ग. सुरक्षित धनराशि परीक्षाफल प्रकाशन या सत्र की समाप्ति के बाद ही प्राप्त की जा सकती है।

छात्रकोषः

छात्रकोषः परिसरस्य समितेरधीनो भविष्यति। परिसरस्य संकायसदस्याः समितेः अध्यक्षः भविष्यन्ति। कक्षासु प्रवेशसमये निर्मितयोग्यतासूचीतः सर्वाभ्यः एकैकशः सर्वप्रथमस्थानं प्राप्त छात्रः समितेः सदस्यो भविष्यति, कोषस्य स्थापनं कोषागारे भविष्यति, तस्य सञ्चालनं समितिप्रमुखाः अनुभागाधिकारिणश्च करिष्यन्ति। निरीक्षणस्य सम्पूर्णमुत्तरदायित्वं लेखानुभागस्य भविष्यति।

छात्रकोष

छात्रकोष परिसर की समिति के अधीन होगा, परिसर के संकाय सदस्य समिति के अध्यक्ष होंगे। कक्षाओं में प्रवेश के समय निर्मित योग्यता सूची से प्रत्येक कक्षा से एक सर्वप्रथम स्थान प्राप्त छात्र समिति का सदस्य होगा, कोष का स्थापन बैंक में होगा, उसका सञ्चालन समिति प्रमुख और अनुभाग अधिकारी करेंगे। निरीक्षण का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व लेखानुभाग का होगा।

छात्र-कल्याण-परिषद्

विश्वविद्यालयपरिसरे छात्राणां हिताय नियमानुसारं छात्र-कल्याण-परिषद् कार्यं सम्पादयिष्यति। लिङ्गदोहकमेटी इत्यस्य निर्देशानुसारं छात्र/छात्राणां विविधानां समस्यानां सम्यक् निवारणाय निर्वाचनप्रक्रियया प्रतिवर्षं छात्र-कल्याण-परिषदः संघटनं भवति।

छात्र कल्याण परिषद्

विश्वविद्यालय परिसर में छात्रहित के लिए नियमानुसार छात्र कल्याण परिषद् कार्यो का सम्पादन करेगी।

लिङ्गदोहकमेटी के निर्देशानुसार छात्र/छात्राओं की विविध समस्याओं के सम्यक् निवारण के लिए निर्वाचन प्रक्रिया के द्वारा प्रतिवर्ष छात्र कल्याण परिषद् का गठन होता है।

परिधानम्

विश्वविद्यालयस्य परिसरे प्रत्येक छात्राय/छात्रायै भारतीयसंस्कृत्यनुरूपं सामान्यपरिधानस्य नियमो वर्तते। अत्याधुनिकपरिधानं धारयित्वा परिसरे न आगच्छेयुः।

परिधान

विश्वविद्यालय के परिसर में प्रत्येक छात्र/छात्राओं के लिए भारतीय संस्कृति के अनुरूप सामान्य परिधान का नियम है। अत्याधुनिक परिधान धारण कर परिसर में न आयें।

अनुशासनम् आचारसंहिता च

विश्वविद्यालयस्य परिसरे छात्र/छात्राणाम् आचरणमुत्तमं भवेत्। अभद्राचरणे कृते सति निष्कासनमपि भविष्यति। अधोलिखितबिन्दुषु छात्रैः छात्राभिश्च कदापि प्रमादो न करणीयः। अन्यथा ते/ताश्च दण्ड्याः भविष्यन्ति।

1. विश्वविद्यालयस्य परिसरे समागतानाम् अतिथीनां कृते अभद्राचरणं न भवेत्।
2. परिसरे अधिकारिणां प्राध्यापकानां कर्मचारिणां कृते अभद्राचरणं न करणीयम्।
3. अपशब्द वक्तारो मिथ्यावादिनः छात्र/छात्राश्च दण्डभागिनो भविष्यन्ति।
4. परिसरे आयोजितेषूत्सवेषूपद्रवे कृते सति छात्र/छात्राश्च दण्डस्य प्रतिभागिनः भविष्यन्ति।
5. छात्रैः/छात्राभिश्च शैक्षणिककार्येषु व्यवधानं न करणीयम् तथा कृते सति ते/ताः दण्डभाजो भवेयुः।
6. अधिकारिणाम् आदेशस्य उल्लंघनं न करणीयम्।
7. विश्वविद्यालयपरिसरे पूर्णतया धूम्रपानं मद्यपानञ्च निषिद्धं वर्तते।
8. परिसरस्य भित्तिकासु, कक्षासु कस्मिन्नपि स्थाने किमपि लेखनं विज्ञापनसंश्लेषणञ्च निषिद्धं वर्तते।
9. परिसरे परिचयपत्रमावश्यकम्।
10. परिसरस्य सम्पत्तीनां नाशनं/त्रोटनं वा निषिद्धमस्ति, क्षतिग्रस्ते कृते सति संलिप्तानां छात्राणामुपरि आवश्यक-कार्यवाही भविष्यति। परिसरस्य गरिमाणं रक्षयितुं सर्वैः यत्नः करणीयः।
11. परिसरे छात्रा राजनीतिकगतिविधिषु प्रतिभागं न कुर्युः।
12. परिसरे कालांशसमये दूरभाषयन्त्रस्य प्रयोगो न करणीयः।
13. अनुशासनहीनतायां सत्यां कुलानुशासकमण्डलस्य परिसरीयानुशासनसमितेरनुशासनायां माननीयानां कुलपतीनां निर्णयः सर्वमान्यो भविष्यति।

अनुशासन और आचारसंहिता

विश्वविद्यालय के परिसर में छात्र/छात्राओं का आचरण उत्तम होना चाहिए। अभद्राचरण करने पर निष्कासन भी हो सकता है।

निम्नलिखित बिन्दुओं पर छात्र/छात्राओं द्वारा प्रमाद नहीं करना चाहिए। अन्यथा दण्ड के प्रतिभागी होंगे।

1. विश्वविद्यालय परिसर में आये हुए अतिथियों के साथ अभद्र आचरण न हो।
2. परिसर में अधिकारियों, प्राध्यापकों और कर्मचारियों के साथ अभद्र आचरण नहीं करना चाहिए।
3. अपशब्द बोलने वाले तथा मिथ्यावादी छात्र/छात्रा दण्ड के भागी होंगे।
4. परिसर में आयोजित उत्सवों में उपद्रव करने पर छात्र/छात्रा दण्डनीय होंगे।
5. छात्र/छात्राओं को शैक्षणिक कार्यों में व्यवधान नहीं करना चाहिए।
6. अधिकारियों के आदेश का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।
7. विश्वविद्यालय परिसर में धूमपान, मद्यपान पूर्णतया निषिद्ध है।
8. परिसर की दीवारों, कक्षाओं एवं किसी भी स्थान पर कुछ लिखना और विज्ञापन चिपकाना निषिद्ध है।
9. परिसर में परिचय पत्र आवश्यक है।
10. परिसर की सम्पत्ति को नुकसान न पहुँचाएं, क्षति ग्रस्त करने की दशा में दोषी पाये गये छात्र पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। परिसर की गरिमा बनी रहे, अतः अवाञ्छित गतिविधियों में प्रतिभाग न करें।
11. परिसर में छात्रों को राजनीतिक गतिविधियों में प्रतिभाग नहीं करना चाहिए।
12. परिसर में वादन के समय मोबाइल फोन का प्रयोग वर्जित है।
13. अनुशासन तोड़ने की दशा में परिसरीय कुलानुशासकमण्डल, अनुशासन समिति की अनुशंसा में माननीय कुलपति महोदय का निर्णय अन्तिम और सर्वमान्य होगा।

रैगिंग-निषेधः

विश्वविद्यालयानुदानायोगस्य (यू.जी.सी.) रैगिंग-अधिनियम:2009 नियम:-6.3(क) दिनाङ्क 17 जून, 2009 इत्यस्य अनुसार परिसरे रैगिंग-निषेध-समिते: गठनं भवेत्। एतदनुसारं विश्वविद्यालये रैगिंगनिषेधसमिते: गठनं कृतं वर्तते। तथा च परिसरे रैगिंगनिषेधो वर्तते।

विश्वविद्यालयानुदानायोगस्य रैगिंग-निषेध-अधिनियम:2009 इत्यस्य नियम:-7 इत्यस्यानुसारं रैगिंगकृते अधोलिखितापराधिकगतिविधयः सम्मिलितास्सन्ति।

1. रैगिंगहेतवे प्रोत्साहनम्।
2. रैगिंग इत्यस्य आपराधिकषड्यन्त्रम्।

3. रैगिंगसमये अवैधरूपेण समवायकरणम् उत्पातकरणञ्च।
4. रैगिंगसमये व्यवधानम्।
5. रैगिंगद्वारा शालीनतायाः नैतिकतायाः उच्छेदीकरणम्।
6. शारीरिकहानिः।
7. अवैधरूपेण अवरोधनम्।
8. आपराधिकबलस्य प्रयोगः।
9. प्रहरणं, यौनसम्बद्धाः अपराधाः अप्राकृतिकापराधाश्च।
10. बलाद्-ग्रहणम्।
11. आपराधिकरूपेण अधिकारं विना वा अपरस्य स्थाने प्रवेशनम्।
12. सम्पत्तिसम्बन्धिनः अपराधाः।
13. आपराधिकरूपेण आधिपत्यम्।
14. आपत्तिग्रस्तानां जनानां कृते उपर्युक्तेषु अपराधेषु अपराधकरणम्।
15. शारीरिकमानसिकरूपेण अपमानः।
16. रैगिंग इत्यस्य परिभाषया सम्बद्धाः सर्वे अपराधाः।

संयोजकः
(एन्टीरैगिंग समितिः)

रैगिंग निषेध

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.सी.जी.) रैगिंग अधिनियम 2009 के नियम-6.3(क) दिनाङ्क 17 जून 2009 के अनुसार परिसर में रैगिंग निषेध समिति का गठन किया जाना चाहिए तदनुसार ही विश्वविद्यालय परिसर में उक्त समिति का गठन किया गया। विश्वविद्यालय परिसर में रैगिंग करना निषेध है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रैगिंग निषेध अधिनियम 2009 के नियम-7 के अनुसार रैगिंग के लिए अधोलिखित आपराधिक गतिविधियाँ सम्मिलित हैं।

1. रैगिंग हेतु प्रोत्साहन।
2. रैगिंग के लिए आपराधिक षड्यन्त्र करना।
3. रैगिंग के समय अवैध रूप से एकत्र होना और उत्पात मचाना।
4. रैगिंग के लिए लोगों को उकसाना।
5. रैगिंग के द्वारा शालीनता और नैतिकता को भङ्ग करना।

6. शरीर को चोट पहुँचाना।
7. गलत ढंग से रोकना।
8. आपराधिक बल का प्रयोग।
9. प्रहार, यौन सम्बन्धित अपराध और अप्राकृतिक अपराध करना।
10. बलपूर्वक ग्रहण करना।
11. आपराधिक रूप से बिना अधिकार के दूसरे के स्थान में प्रवेश करना।
12. सम्पत्ति सम्बन्धी अपराध।
13. आपराधिक रूप से धमकी देना और अधिकार जमाना।
14. मुसीबत में फँसे व्यक्तियों के प्रति उपयुक्त अपराधों में से कोई अपराध करना।
15. शारीरिक और मानसिक रूप से अपमान करना।
16. रैगिंग की परिभाषा सम्बन्धी सभी अपराध।

संयोजक
(एन्टी रैगिंग समिति)

उपस्थिति-अवकाशसम्बन्धिनियमः

वार्षिकपरीक्षायां प्रवेशार्हता, छात्रवृत्तिप्रदानस्य पात्रतायै च एकस्मिन् शिक्षासत्रे 75% उपस्थितिरनिवार्या अस्ति। अर्थात् छात्रस्य कृते एकस्मिन् शिक्षासत्रे सम्पूर्णव्याख्यान-दिवसेषु 25% अवकाशो मिलिष्यति। विभागस्य पूर्वानुमतिद्वारा छात्रैः नीताः निम्नलिखितावकाशाः छात्रवृत्तिं स्वीकर्तुम् अनुपस्थितिरूपे न आगमिष्यन्ति। 75% उपस्थितिः यदि अस्ति चेत् छात्राः/छात्रा परीक्षायां प्रतिभागं करिष्यन्ति।

1. सम्बन्धितविभागस्यानुशासनायां चिकित्सकीयप्रमाणपत्रं विना एकस्मिन् शैक्षिकसत्रे 10 दिनानि यावत् अवकाशः।
2. एकस्मिन् शैक्षणिकसत्रे 20 दिनानि यावत् चिकित्सकीयावकाशः। यस्मै पञ्जीकृत- चिकित्साधिकारिद्वारा छात्रस्य अस्वस्थतायाः प्रमाणपत्रम् आवश्यकमस्ति।
3. यदि वाञ्छित-उपस्थितिः पूर्णा अस्ति तथापि कश्चन छात्रः रुग्णतायाः कारणात् वार्षिकपरीक्षायां प्रतिभागकरणे असमर्थो भवति, तदा चिकित्साधिकारिद्वारा प्रमाणिते सति सः अग्रिमे वर्षे परीक्षायां पूर्वं छात्ररूपेण प्रतिभागं कर्तुं शक्नोति। अग्रिमवर्षे स अध्ययनार्थं कक्षायां समुपस्थितो भवितुमर्हति, परञ्च नियमित छात्रत्वेन स्वीकरणं न भवति। तथा च सः छात्रवृत्तिं ग्रहीतुं न शक्नोति।

उपस्थिति और अवकाश सम्बन्धी नियम

1. वार्षिक परीक्षा में प्रवेश और छात्रवृत्ति भुगतान पात्रता के लिए एक शिक्षा सत्र में 75% उपस्थिति अनिवार्य है।

अर्थात् छात्र को एक शिक्षा सत्र में सम्पूर्ण व्याख्यान दिवसों में 25% अवकाश मिलेंगे। विभाग की पूर्व अनुमति से छात्रों के द्वारा लिए गये निम्नलिखित अवकाश छात्रवृत्ति स्वीकार करने हेतु अनुपस्थित के रूप में नहीं आयेंगे। 75% उपस्थिति होने पर ही परीक्षा में प्रतिभाग कर सकेंगे।

2. सम्बन्धित विभाग की अनुशंसा में चिकित्सकीय प्रमाण पत्र के बिना एक शैक्षिक सत्र में 10 दिनों का अवकाश।
3. एक शैक्षणिक सत्र में 20 दिनों का चिकित्सकीयावकाश। जिस हेतु पञ्जीकृत-चिकित्साधिकारी द्वारा छात्र का अस्वस्थता प्रमाण पत्र आवश्यक है।
4. यदि वाञ्छित उपस्थिति पूर्ण होने पर कोई भी छात्र रुग्णता के कारण परीक्षा में प्रतिभाग करने में असमर्थ होता है, तो चिकित्साधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र के माध्यम से वह अग्रिम सत्र में पूर्व छात्र के रूप में प्रतिभाग कर सकेगा। अग्रिम वर्ष में अध्ययन हेतु कक्षा में उपस्थित तो हो सकेगा, किन्तु नियमित छात्र के रूप में वह छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु अर्ह नहीं होगा।

छात्रवृत्ति:

विश्वविद्यालये अध्ययनरतानां छात्राणां कृते छात्रवृत्तिप्रदानस्य मुख्योद्देश्यं संस्कृतशिक्षा ग्रहणाय प्रोत्साहनम्। राज्यसर्वकारस्य नियमानुसारं मेधाविच्छात्रवृत्तिः शासनेन निर्धारितमानकानुसारं नियतसंख्यायां दीयते।

छात्रवृत्ति

विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के लिये छात्रवृत्ति प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य संस्कृत शिक्षा ग्रहण करने हेतु प्रोत्साहन करना है। राज्य सरकार के नियमानुसार मेधावी छात्रवृत्ति शासन से निर्धारित मानकों के अनुसार नियत संख्या में मिलेगी।

दिव्याङ्गानाम् आकस्मिकदुर्घटनायां व्रणितानां छात्राणां कृते लेखकस्य

व्यवस्था

1. हस्ते क्षतिग्रस्ते सति लेखकस्य व्यवस्था भविष्यति। तदर्थं राजकीयचिकित्सालयद्वारा अभिप्रमाणितप्रमाणपत्रं परीक्षारम्भात् प्राक् परीक्षानियन्त्रककार्यालये देयम्।
2. स्थायिरूपेण दिव्याङ्गतायां सत्यां लेखकस्य व्यवस्था भविष्यति।
3. नेत्रहीनस्य कृते लेखकस्य व्यवस्था भविष्यति।
4. लेखकस्य योग्यता परीक्षार्थिद्वारा दीयमानायाः परीक्षाया न्यूना स्यात् एतदर्थं लेखकेन प्रमाणम्/प्रतिज्ञापत्रम् परीक्षानियन्त्रककार्यालये प्रदाय स्वीकृतिः प्राप्तव्या भविष्यति। अस्मिन् सम्बन्धे विसङ्गतौ समुपलब्धायां सम्बद्धः परीक्षानियन्त्रकः उत्तरदायी भविष्यति।

5. लेखकस्य सम्पूर्णव्ययस्य परीक्षार्थी स्वयमेव निर्वहणं करिष्यति। परं नेत्रहीनपरीक्षार्थिनां कृते विश्वविद्यालयतः शुल्कं देयं भविष्यति।

दिव्यांग/आकस्मिकदुर्घटना में घायल छात्रों के लिये लेखक की व्यवस्था

1. हाथ में फैंक्चर होने पर लेखक की व्यवस्था होगी। उसके लिए राजकीय चिकित्सालय द्वारा अभिप्रमाणित प्रमाण पत्र परीक्षा प्रारम्भ होने से पहले परीक्षा नियन्त्रक कार्यालय में जमा कराना होगा।
2. स्थायी रूप से दिव्यांग होने पर लेखक की व्यवस्था होगी।
3. नेत्रहीन के लिये लेखक की व्यवस्था होगी।
4. लेखक की योग्यता परीक्षार्थी द्वारा दी जाने वाली परीक्षा से कम होनी चाहिये। एतदर्थ लेखक को प्रमाण/शपथ पत्र परीक्षा नियन्त्रक कार्यालय में जमा कर स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त होने पर सम्बन्धि परीक्षा नियन्त्रक उत्तरदायी होगा।
5. लेखक का सम्पूर्ण व्यय परीक्षार्थी स्वयं निर्वहन करेगा। परन्तु नेत्रहीन परीक्षार्थियों के लिए विश्वविद्यालय पक्ष से शुल्क देय होगा।

पाठ्यसहगामि-क्रिया:

क्रीडापरिषद्- विविधासु क्रीडासु छात्राणां/छात्राणां रुचये कौशलवर्धनाय च अस्य स्थापना जाता। यया माध्यमेन अन्तर्महाविद्यालयीयानाम् एवं अन्तर्विश्वविद्यालयीयानां विविधानां क्रीडानां यथासमयम् आयोजनं भवति।

सांस्कृतिक-परिषद्- विश्वविद्यालये साहित्यिकसांस्कृतिकगतिविधिषु भागग्रहणाय कौशलसम्पादनाय च सांस्कृतिक-परिषद्: गठनं कृतमस्ति। समये-समये अन्तर्महाविद्यालयीयानाम् एवं अन्तर्विश्वविद्यालयीयानां सांस्कृतिक-गतिविधीनां सञ्चालनं भवति।

व्यक्तित्वसंवर्धनजीविकानियोजनपरामर्शसमिति:- विश्वविद्यालये अस्याः समितेः स्थापना विहिता। अनया छात्राणां/छात्राणां व्यवसायप्रदानाय सहयोगो दीयते।

राष्ट्रिय-सेवा-योजना (N.S.S.)- शास्त्रिकक्षायाम् अध्ययनरतानां छात्राणां/छात्राणां कृते विश्वविद्यालयपरिसरे राष्ट्रिय- सेवा-योजनायाः सञ्चालनं भवति। राष्ट्रिय-सेवा-योजनाप्रमाणपत्रप्राप्तकर्तृणां प्रवेशार्थिनां कृते शिक्षाशास्त्र (बी.एड्.)- आचार्ययोः/अन्यासु च प्रतियोगिपरीक्षासु प्रवेशाय अधोलिखितरूपेणाधिमानाङ्काः मिलन्ति।

- | | |
|--|-----------|
| 1. 240 होरा + एकस्मिन् विशेषशिविरे सहभागे कृते सति | 03 अङ्काः |
| 2. 240 होरा + द्वयोर्विशेषशिविरयोः सहभागे कृते सति | 05 अङ्काः |
| 3. राष्ट्रिय-एकीकरणशिविरे सहभागे कृते सति | 03 अङ्काः |

अथवा

- | | |
|---------------------|-----------|
| 4. 'ए' प्रमाणपत्रम् | 05 अङ्काः |
|---------------------|-----------|

- | | |
|----------------------|-----------|
| 5. 'बी' प्रमाणपत्रम् | 05 अङ्काः |
| 6. 'सी' प्रमाणपत्रम् | 05 अङ्काः |

विशेषः—विश्वविद्यालयस्य पाठ्यगतिविधिषु शैक्षणिकगतिविधिषु च प्रतिभागग्रहणे प्राथमिकत्वे प्राप्ते सति, परीक्षायां सर्वोच्चाङ्के प्राप्ते सति उपस्थिति-सद्व्यवहारादिसम्पन्नेभ्यः छात्रेभ्यः विश्वविद्यालयपक्षतः पुरस्कारः प्रमाणपत्रञ्च प्रदास्यते।

पाठ्य-सहगामी क्रियाकलाप

क्रीडापरिषद्—विविध क्रीडाओं में छात्र/छात्राओं की रुचि, कुशलता के विकास के लिए इस परिषद् की स्थापना की गई है। जिसके माध्यम से अन्तर्महाविद्यालयीय और अन्तर्विश्वविद्यालयीय विभिन्न क्रीडाओं का आयोजन किया जाता है।

सांस्कृतिक-परिषद्—विश्वविद्यालय में साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में सहभाग करने हेतु और कौशल सम्पादन के लिए सांस्कृतिक परिषद् का गठन किया है। जिसके माध्यम से समय-समय पर अन्तर्महाविद्यालयीय और अन्तर्विश्वविद्यालयीय सांस्कृतिक गतिविधियों का सञ्चालन होता है।

व्यक्तित्व संवर्धन जीविका नियोजन परामर्श समिति—विश्वविद्यालय में एक समिति की स्थापना की गई है। जिसके माध्यम से छात्र/छात्राओं को व्यवसाय प्राप्ति में हेतु उचित मार्गदर्शन/परामर्श प्रदान किया जाता है।

राष्ट्रीय-सेवा-योजना (N.S.S.)—शास्त्री कक्षा में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए विश्वविद्यालयपरिसर में राष्ट्रीय-सेवा-योजना का सञ्चालन होता है। राष्ट्रीय-सेवा-योजना का प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाले शिक्षाशास्त्री (बी. एड्.) एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रवेशार्थियों को अधोलिखित रूप से अधिमान अंक मिलते हैं।

- | | |
|---|---------|
| 7. 240 घण्टा + एक विशेष शिविर में सहभाग करने पर | 03 अङ्क |
| 8. 240 घण्टा + दो विशेष शिविर में सहभाग करने पर | 05 अङ्क |
| 9. राष्ट्रीय-एकीकरणशिविर में सहभाग करने पर | 03 अङ्क |

अथवा

- | | |
|---------------------|---------|
| 10. 'ए' प्रमाणपत्र | 15 अङ्क |
| 11. 'बी' प्रमाणपत्र | 10 अङ्क |
| 12. 'सी' प्रमाणपत्र | 15 अङ्क |

विशेष—विश्वविद्यालय के पाठ्यगतिविधियों और शैक्षणिकगतिविधियों में प्रतिभाग करने और प्राथमिकता प्राप्त होने पर, परीक्षा में सर्वोच्चाङ्क प्राप्त करने पर उपस्थिति, सद्व्यवहारादि से सम्पन्न छात्रों के लिए विश्वविद्यालय से पुरस्कार और प्रमाणपत्र भी दिया जायेगा।

छात्रेभ्यः प्रदेयाः सुविधाः

(क) **पुस्तकालयः**— विश्वविद्यालयपरिसरे पुस्तकालयस्य व्यवस्था वर्तते। यस्मिन् संस्कृतप्राच्यविद्यानां तथा आधुनिकशास्त्राणां ग्रन्थाः समुपलब्धाः सन्ति। अत्र नियमितरूपेण पत्रिकाः समाचारपत्राणि च पठनाय मिलन्ति।

नियमाः— 1. विश्वविद्यालये प्रविष्टाः छात्राः पुस्तकालये पुस्तकालयधनराशिं दत्त्वा सदस्याः भवितुमर्हन्ति।

2. छात्राणां कृते एकमासाय पुस्तकानि देयानि सन्ति। मासानन्तरं नवीनीकरणम् आवश्यकम्। यदि पुस्तकानि निर्धारितसमये न प्रत्यावर्तितानि, तदा पुस्तकानां कृते विलम्बशुल्कं देयं भविष्यति।

3. सन्दर्भग्रन्थाः, दुर्लभानि बहुमूल्यानि पुस्तकानि पुस्तकालयतः न मिलिष्यन्ति।

4. पुस्तके नष्टे क्षतिग्रस्ते वा सति तादृशं पुस्तकं आनीय देयं भविष्यति, नो चेत् नियमानुसारं तस्य मूल्यं देयं भविष्यति।

5. पुस्तकेषु लेखनी-मसीत्यादीनां प्रयोगो वर्जितः।

6. वार्षिकपरीक्षायाः अनन्तरम् एकसप्ताहाभ्यन्तरे पुस्तकानां प्रत्यावर्तनं करणीयम्। अन्यथा परीक्षापरिणामः उद्घोषितो न भविष्यति।

7. सदस्य छात्रेभ्यः त्रीणि पाठकपत्राणि पुस्तकालयतः मिलिष्यन्ति, यानि अहस्तान्तरणीयानि भवन्ति।

8. पुस्तकालये कोलाहलं न कर्तव्यम्, पत्रिकाः पठित्वा यथास्थानं स्थापनीयाः। स्वीकृतिं विना कस्यापि पुस्तकस्य पत्रिकायाश्च बहिर्नयनं न भविष्यति।

9. पुस्तकालयस्य नियमानामुच्छेदे सति सदस्यानां सदस्यतासमाप्तेः अधिकारः विश्वविद्यालयस्य पार्श्वेऽस्ति।

10. आवश्यकतायां सत्यां समयात् प्रागेव पुस्तकालये पुस्तकानि प्रत्यावर्तितानि करणीयानि भविष्यन्ति।

(ख) **संगणककक्षः**— छात्राणामुपयोगाय परिसरे एकः सुसज्जितः संगणककक्षः वर्तते।

(ग) **छात्रावासव्यवस्थाः**— पुरुषच्छात्राणाङ्गते आधारभूतसुविधासम्पन्नछात्रावासस्य व्यवस्थाऽस्ति। अत्र स्वीकृतस्थानानां संख्या 120 निर्धारिता। छात्रावाससुविधायै छात्रावासनियमावली विश्वविद्यालयस्य “वेबसाइट” इत्यत्र द्रष्टव्या।

(घ) **योगप्रयोगशालाः**— छात्र-छात्राणाङ्गते आधुनिकसंसाधनैः सम्पन्ना उच्चस्तरीया प्रयोगशाला विद्यते।

(ण) **व्यायामशाला (Gym)**— छात्र-छात्राणाङ्गते विश्वविद्यालयपरिसरे आधुनिकसंसाधनैः सम्पन्ना व्यायामशाला विद्यते।

छात्रों को प्रदेय सुविधाएँ

(क) **पुस्तकालय**— विश्वविद्यालय परिसर में सुसमृद्ध सुविशालतम पुस्तकालय की व्यवस्था है जिसमें संस्कृत

प्राच्यविद्याओं तथा आधुनिकशास्त्रों के ग्रन्थ हैं। यहाँ पर नियमित रूप से पत्रिकाएँ और समाचार पत्र पढ़ने के लिए मिलते हैं।

- नियम-**
1. विश्वविद्यालय में प्रविष्ट छात्र पुस्तकालय में पुस्तकालय धनराशि देकर सदस्य हो सकते हैं।
 2. छात्रों के लिए एक महीने के लिए पुस्तकें देय होंगी। महीने बीतने के बाद नवीनीकरण आवश्यक होगा। यदि पुस्तक निर्धारित समय में न लौटाई गई तो विलम्ब शुल्क देय होगा।
 3. सन्दर्भग्रन्थ, दुर्लभ और बहुमूल्य पुस्तकें पुस्तकालय से नहीं मिलेंगी।
 4. पुस्तकों के खो जाने एवं क्षतिग्रस्त होने पर वैसी ही पुस्तक लाकर देनी होगी, अन्यथा नियमानुसार उसका मूल्य देना होगा।
 5. पुस्तकों में लेखनी एवं स्याही इत्यादि का प्रयोग वर्जित है।
 6. वार्षिक परीक्षा हो जाने के एक सप्ताह के अन्दर पुस्तकें लौटानी चाहिए। अन्यथा परीक्षा परिणाम घोषित नहीं होगा।
 7. सभी सदस्य छात्रों को तीन पाठक पत्र पुस्तकालय से मिलेंगे। ये अहस्तान्तरीय होंगे।
 8. पुस्तकालय में कोलाहल न करें। पत्रिका पढ़कर यथास्थान रखें। स्वीकृति के बिना कोई भी पुस्तक या पत्रिका बाहर न ले जायें।
 9. पुस्तकालय के नियमों को भंग करने पर सदस्यों की सदस्यता समाप्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित है।
 10. आवश्यक होने पर समय से पहले ही पुस्तकें वापस करनी होगी।
- (ख) **संगणककक्ष-** छात्रों के उपयोग के लिए परिसर में एक सुसज्जित संगणक कक्ष है।
- (ग) **छात्रावासव्यवस्था-** पुरुष छात्रों के लिये आधारभूत सुविधाओं से सम्पन्न छात्रावास की व्यवस्था है। जिसमें सीटों की संख्या 120 निर्धारित है। छात्रावास सुविधा प्राप्त करने हेतु छात्रावास नियमावली विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर द्रष्टव्य है।
- (घ) **योग प्रयोगशाला-** छात्र-छात्राओं के लिये आधुनिक संसाधनों से सम्पन्न उच्च स्तरीय योग प्रयोगशाला विश्वविद्यालय परिसर में विद्यमान है।
- (ण) **व्यायामशाला (Gym)-** छात्र-छात्राओं के लिये विश्वविद्यालय परिसर में आधुनिक संसाधनों से सम्पन्न व्यायामशाला है।

उत्तराखण्डसंस्कृतविश्वविद्यालय, हरिद्वार से सम्बद्ध महाविद्यालयों की सूची

1. श्री ऋषिकुलविद्यापीठब्रह्मचर्याश्रम, हरिद्वार।
2. श्री ऋषिसंस्कृतमहाविद्यालय, निर्धन निकेतन, खड़खड़ी, हरिद्वार।
3. श्रीगुरुकुलमहाविद्यालय, ज्वालापुर हरिद्वार।
4. श्री जय भारतसाधुसंस्कृतमहाविद्यालय, सं० तपोनिधि निरंजनी अखाड़ा हरिद्वार।
5. श्रीजगद्देवसिंहसंस्कृतमहाविद्यालय, सप्तऋषि आश्रम, सप्तसरोवर हरिद्वार।
6. श्रीरामानुजश्रीवैष्णवसंस्कृतमहाविद्यालय, हरिद्वार।
7. श्रीउदासीनसंस्कृतमहाविद्यालय, पंचायती अखाड़ाबड़ा कनखल हरिद्वार।
8. श्रीगरीबदासीय साधुसंस्कृतमहाविद्यालय, जगजीतपुर हरिद्वार।
9. श्रीनिर्मलसंस्कृतमहाविद्यालय, हरिद्वार।
10. श्रीजयरामसंस्कृतमहाविद्यालय, ऋषिकेश।
11. श्रीदर्शनमहाविद्यालय मुनि की रेती, पो० शिवानन्द नगर ऋषिकेश।
12. दैवीसम्पद् अध्यात्मसंस्कृतमहाविद्यालय, परमार्थ निकेतन पो० स्वर्गाश्रम पौड़ी गढ़वाल।
13. श्रीपंजाबसिन्ध क्षेत्र साधुमहाविद्यालय, ऋषिकेश।
14. श्री 108 कालीकमलीवालेरामनाथजी छात्रहितकारिणी संस्कृत पाठशाला ऋषिकेश।
15. श्रीगुरुरामराय लक्ष्मण संस्कृत महाविद्यालय देहरादून।
16. श्रीशिवनाथसंस्कृतमहाविद्यालय, 62, प्रीतमपथ डालनवाला देहरादून।
17. द्रोणस्थलीआर्षकन्यागुरुकुलमहाविद्यालय, किशनपुरदेहरादून।
18. श्रीकेदारनाथसनातन धर्म उपाधि संस्कृत महाविद्यालय, उत्तराखण्ड विद्यापीठ रुद्रप्रयाग।
19. श्रीकेदारनाथआदर्शसंस्कृतमहाविद्यालय शोणितपुर, लमगोण्डी रुद्रप्रयाग।
20. श्रीविश्वनाथस्नातकोत्तरसंस्कृतमहाविद्यालय, उजेली उत्तरकाशी।
21. श्रीबद्रीनाथराजकीय संस्कृत महाविद्यालय, नईटिहरी।
22. राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, चम्बा टिहरी गढ़वाल।
23. श्रीबद्रीनाथवेद-वेदांगस्नातकोत्तरसंस्कृतमहाविद्यालय, जोशीमठ चमोली।
24. श्री 1008 स्वामीसच्चिदानन्दसरस्वतीसंस्कृतमहाविद्यालय, मण्डल चमोली।
25. श्री 108 स्वामीसच्चिदानन्दवेदभवनसंस्कृतमहाविद्यालय, रुद्रप्रयाग।
26. श्रीबद्रीशकीर्तिसंस्कृतविद्यापीठडिम्बरसिमली चमोली।
27. श्रीज्वालामुखीसंस्कृतमहाविद्यालय, देवदुंग विनयखाल, टिहरी गढ़वाल।

28. बाराहीदेवीसंस्कृतमहाविद्यालय, देवीधुरा चम्पावत।
29. श्रीमहादेवगिरिस्नातकोत्तरसंस्कृतमहाविद्यालय, हल्द्वानी।
30. श्रीनारायण संस्कृतमहाविद्यालय, कमेड़ीदेवी बागेश्वर।
31. बालिकासंस्कृतमहाविद्यालय, सेन्दुलकेमर, टिहरी गढ़वाल।
32. श्रीमद् दयानन्दआर्षज्योतिर्मठगुरुकुल, आर्यपुरम्, दूनवाटिका भाग-02, पौंधा, देहरादून (उत्तराखण्ड)।

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में सम्बद्धता

1. वैदिकआश्रमगुरुकुलमहाविद्यालय कण्वाश्रम कलालघाटी कोटद्वार।
2. शीतलवैदिकसंस्थान, ग्राम-फलसुआबडकोट, पो0-डाण्डी, वाया-रानीपोखरी देहरादून-248185
3. उत्तरांचल आयुर्वेदिक कालेज राजपुर देहरादून।
4. हिमालयीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, फतेहपुरटाण्डा, जीवनवाला, देहरादून।
5. उत्तराखण्ड आयुर्वेदिक कॉलेज, रामपुररोड़, हल्द्वानी।
6. हरदेव सिंह संस्कृत कॉलेज, ग्राम-रायपुर मंडैया, पो0-रायपुर, तहसील-जसपुर (ऊधमसिंह नगर)।
7. अनमोल भारतीय उपचार एवं योग संस्थान, निकट उज्ज्वल भवन, जी0एम0एस0 रोड़, देहरादून।
8. जसपालराणा इन्स्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एण्ड टेक्नोलॉजी, देहरादून।
9. यूनिवर्सल इन्स्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, 102 ताज काम्पलेक्स नजदीक अम्बेडकर चौक, ऋषिकेश।
10. अमृत कॉलेज ऑफ एजुकेशन धनौरी (रुड़की), हरिद्वार।
11. माँ पूर्णागिरी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, चम्पावत।
12. सीताराम डिग्री कॉलेज, रुड़की।
13. बी.आर.एस. महाविद्यालय, टीकमपुर, सुल्तानपुर, जनपद-हरिद्वार।
14. एस.जे.एस. ग्रुप ऑफ एजुकेशन (समग्र जनकल्याण समिति) खेड़ा लक्ष्मीपुर, जसपुर, जनपद-ऊधमसिंहनगर।
15. चमनलालमहाविद्यालय, लण्ढौरा, जनपद-हरिद्वार।
16. हरि ओम सरस्वती डिग्री कॉलेज, धनौरी, जनपद-हरिद्वार।
17. सत्त्वयोगपीठ, अमितग्राम-गुमानीवाला, ऋषिकेश।
18. जगन्नाथविश्वाकॉलेज, लालतप्पड़ माजरीग्राण्ट, नजदीक-नेचरविला, हरिद्वार रोड, देहरादून।
19. देवेश्वरी योगपीठ विद्यापीठ, ग्राम-हरिपुरकलाँ, वाया-रायवाला, जनपद-देहरादून।
20. दरमावैदिकसंस्थान, आशुतोषनगर, नेहरु मार्ग, देहरादून रोड, ऋषिकेश।
21. जाहन्वी आयुर्वेदा एवं योग केन्द्र, हरिद्वार।
22. ऋषिकेश योग धाम संस्थान, तपोवन, ऋषिकेश, टिहरी गढ़वाल।

23. विशम्बरसहाय मेडिकलकॉलेज एवं रिसर्च सेन्टर, रुड़की।
24. मोहिनीदेवीडिग्रीकॉलेज, इकबालपुर रोड, आसफ नगर, रुड़की।
25. महेन्द्र सिंह डिग्री कॉलेज, बुधवा शहीद बुग्गावाला, हरिद्वार।
26. उगते यूनिवर्सल गैरोला टूरिज्म एवं टैक्नीकल एक्सीलेंसी (UGTE) नजदीक नेपाली फॉर्म तिराहा देहरादून रोड, खैरीखुर्द, श्यामपुर, ऋषिकेश।
27. श्री साँई इन्स्टीट्यूट, गोविन्दपुरी, हरिद्वार (मानव शैक्षणिक प्रशैक्षणिक एवं विकास संस्थान, हरिद्वार द्वारा संचालित)।
28. डी.डी. कॉलेज, देहरादून।
29. ऋषि योगसंस्थान, पूर्वीनाथ नगर, ज्वालापुर, हरिद्वार।
30. रुड़की दिव्य योगसंस्थान, चुड़ियाला रोड, भगवानपुर।
31. श्रीभगवानदासआदर्शसंस्कृतमहाविद्यालय, हरिद्वार।
32. भागवतप्रसाद शिक्षण एवं सेवा संस्थान हिटाणु, उत्तरकाशी।
33. राजश्री योग संस्थान, रुषा फार्म, गुमानीवाला, श्यामपुर, ऋषिकेश।

नोट : उक्त सूची विगत सत्रों के आधार पर है। नवीन सूची वेबसाईट पर द्रष्टव्य है।

विश्वविद्यालय में कार्यरत अधिकारीगण

क्र.सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष संख्या
01.	प्रो. रमाकान्त पाण्डेय	कुलपति	01334-297021
02.	श्री दिनेश कुमार	कुलसचिव	01334-297028
03.	श्री लखेन्द्र गौधियाल	वित्त नियंत्रक	01334-297024
04.	श्री संदीप प्रसाद भट्ट	उपकुलसचिव	01334-297028
05.	श्री सुनील कुमार	सहायक कुलसचिव	
विश्वविद्यालय में कार्यरत समूह ग एवं घ कर्मचारी			
क्र.सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष संख्या
01.	श्री विनोद कुमार	कनिष्ठ सहायक	9690793548
02.	श्री सुभाष पोखरियाल	कनिष्ठ सहायक	9917314077
03.	श्री धीरज सिंह	कनिष्ठ सहायक	9639119995
04.	श्री प्रवेश कुमार	कनिष्ठ सहायक	9358238283
05.	श्री चन्दन सिंह रावत	कनिष्ठ सहायक	9410577581
06.	श्रीमती आशारानी	कनिष्ठ सहायक	8958040104
07.	श्रीमती शिवानी	कनिष्ठ सहायक	
08.	श्री घनश्याम	वाहन चालक	9639958933
09.	श्री राकेश सिंह	अनुसेवक	9690417231
10.	श्री अरुण कुमार	अनुसेवक	9759205837
11.	श्री संजय कुमार	अनुसेवक	9675047434
12.	श्रीमती चन्द्रकला उप्रेती	अनुसेवक	8938956914
13.	श्रीमती नीतू रानी	अनुसेवक	9568537735
14.	श्रीमती रश्मि	अनुसेवक	8006986571
कुलपति कार्यालय			
क्र.सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष संख्या
01.	* श्री मनोज कुमार गहतोड़ी	निजी सचिव मा. कुलपति	9719280633
02.	* श्री त्रिभुवन सिंह	कम्प्यूटर ऑपरेटर	8979751530
03.	* श्री जयकुमार	अनुसेवक	7895641363
कुलसचिव कार्यालय			
क्र.सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष संख्या
01.	* श्री सूरज डोभाल	कम्प्यूटर ऑपरेटर	9997192803
02.	श्री उम्मेद सिंह	अनुसेवक	9927243732
03.	* श्री सुधीर कुमार	अनुसेवक	9837280742

वित्त नियंत्रक कार्यालय			
क्र.सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष संख्या
01.	श्री संदीप जोशी	लेखाकार (प्रतिनियुक्ति पर अन्यत्र कार्यरत)	9761934834
02.	श्री सुधीर पालीवाल	सहायक लेखाकार	7500242416
03.	श्री धर्मेन्द्र सिंह	कनिष्ठ सहायक	9456175622
04.	श्री राजेन्द्र सिंह	अनुसेवक	9012396988

केन्द्रीय पुस्तकालय			
क्र.सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष संख्या
01.	सुश्री मनमीत कौर	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	9897500959
02.	श्री चन्द्र प्रकाश पाण्डे	केटलागर	
03.	श्री महेन्द्र सिंह रावत	अनुसेवक	9568236943

**उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार में विभागीय संविदा में
कार्यरत समूह ग एवं घ कर्मचारियों की सूची**

क्र.सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष संख्या
01.	डॉ. महेश चन्द्र ध्यानी	शोध अधिकारी	9411754042
02.	श्री उदयवीर सैनी	प्रशासनिक अधिकारी	9045450781
03.	श्री राजेन्द्र प्रसाद नौटियाल	योग प्रशिक्षक	9897732634
04.	श्री जगदम्बा ममगाई	प्रोग्रामर	8192865295
05.	श्रीमती अनीता	कम्प्यूटर ऑपरेटर	8267023788
06.	कु. दीपिका सजवाण	कम्प्यूटर ऑपरेटर	-
07.	श्री भूपेन्द्र सिंह रावत	वाहन चालक	9837522142
08.	श्री विनोद सिंह	वाहन चालक	9012114032
09.	श्री गणेश गोदियाल	वाहन चालक	7351603947
10.	श्री धर्मेन्द्र पाण्डेय	अनुसेवक	7554973660
11.	श्री पंकज पंत	अनुसेवक	8937903497
12.	श्री आशु कुमार	सफाई कर्मी	8958672610
13.	श्री अमित कुमार	सफाई कर्मी	9012730594
14.	श्रीमती रेखा रानी	सफाई कर्मी	9917802997
15.	श्री चरण सिंह	माली	9760802780
16.	श्री नाथी राम	चौकीदार/सुरक्षाकर्मी	9557426248
17.	श्री राजेश कुमार	सुरक्षाकर्मी	
18.	श्री निर्मल सिंह	गनमैन	

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार शास्त्री प्रवेश परीक्षा संशोधित नियमावली

(इण्टर मीडिएट /10+2 परीक्षा उत्तीर्ण, गैर संस्कृत (Non Sanskrit) छात्रों के लिये)

1. विगत वर्षों में उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार एवं तत्सम्बद्ध महाविद्यालयों में कतिपय पारम्परिक विषयों में इण्टर मीडिएट /102 परीक्षा उत्तीर्ण, गैर संस्कृत (Non sanskrit) छात्र को शास्त्री प्रथम वर्ष में अस्थाई प्रवेश दिया जाता था और उन्हें शास्त्री प्रथम वर्ष के दौरान संस्कृत प्रमाण पत्र की परीक्षा उत्तीर्ण करनी अनिवार्य होती थी ,अन्यथा की स्थिति में उनका प्रवेश निरस्त किया जाता था । सत्र 2020-21 से इस नियम में विश्वविद्यालय द्वारा संशोधन कर दिया गया है ।
2. इण्टर मीडिएट /102 परीक्षा उत्तीर्ण, गैर संस्कृत (Non sanskrit) छात्रों को शास्त्री प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने के लिये इस नियमावली में उक्त नियमानुसार शास्त्री प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करनी अनिवार्य होगी । जो छात्र प्रवेश परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करेंगे वही छात्र शास्त्री प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु अर्ह होंगे । आरक्षण का प्रमाण प्रस्तुत करने वाले छात्र-छात्राओं को 5 प्रतिशत अंको की छूट प्रदान की जायेगी ।
3. शास्त्री प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले गैर संस्कृत छात्र/छात्रायें साहित्य, पुराणेतिहास, फलित ज्योतिष आदि समस्त पारम्परिक विषयों में प्रवेश हेतु अर्ह होंगे ।
4. शास्त्री प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले गैर संस्कृत छात्र/छात्राओं को विगत वर्षों की भौति अलग से संस्कृत प्रमाण पत्र की परीक्षा नहीं देनी होगी ।
5. प्रवेश परीक्षा में कृपांक की व्यवस्था नहीं होगी ।
6. प्रवेश परीक्षा आयोजित करवाने से लेकर परीक्षाफल प्रकाशित करवाने तक का सम्पूर्ण दायित्व महाविद्यालय स्तर पर महाविद्यालय का एवं विश्वविद्यालय स्तर पर विश्वविद्यालयीय परीक्षा विभाग का होगा ।
7. महाविद्यालय स्तर पर महाविद्यालय का एवं विश्वविद्यालय स्तर पर विश्वविद्यालयीय परीक्षा विभाग ,प्रवेश परीक्षा से सम्बन्धित समग्र प्रपत्रों का रख रखाव परीक्षा मानदण्डों के अनुरूप करेगा ।
8. शास्त्री प्रवेश परीक्षा का आयोजन विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में प्रवेश आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि से एक सप्ताह पूर्व किया जायेगा ।
9. प्रवेश परीक्षा सम्पन्न होने के दिन से अधिकतम 7 दिन बाद विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों को अपने स्तर से परीक्षा परिणाम निर्गत करना होगा ।
10. निर्धारित अवधि में प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण छात्र अपने प्रवेश प्रार्थना पत्र के साथ प्रवेश परीक्षा अंक पत्र एवम् अन्य निर्धारित प्रपत्र संलग्न कर सम्बन्धित विभाग में प्रवेश ले सकेंगे ।
11. प्रवेश परीक्षा में भाग लेने वाले छात्र निर्धारित तिथि की अवधि में ऑन लाईन / ऑफ लाईन निर्धारित शुल्क व प्रपत्रों के साथ केवल प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र कार्यालय में जमा कर प्रवेश परीक्षा का प्रवेश पत्र प्राप्त करेंगे।

12. प्रवेश परीक्षा हेतु निर्धारित आवेदन पत्र अपूर्ण होने की दशा में विश्वविद्यालय /महाविद्यालय द्वारा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है। इसके लिये छात्र स्वयं उत्तरदायी होगा।
13. प्रवेश परीक्षा ऑन लाईन अथवा ऑफ लाईन होगी इसकी सूचना पृथक् से निर्गत होगी। सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदकों को विश्वविद्यालय / महाविद्यालय की वेबसाईड का अवलोकन करना होगा।
14. प्रवेश परीक्षा हेतु सभी नियम अन्य परीक्षाओं के समान होंगे।
15. प्रवेश परीक्षा का आकस्मिक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकता है। परीक्षा में किसी भी प्रकार की अनियमितता पायी जाने पर प्रवेश परीक्षा को निरस्त भी किया जा सकता है।
16. प्रवेश परीक्षा हेतु व्यय की जाने वाली धन राशि का वहन विश्वविद्यालय स्तर पर विश्वविद्यालय द्वारा एवं महाविद्यालय स्तर पर स्वयं महाविद्यालय द्वारा किया जायेगा।
17. प्रवेश परीक्षा का परिणाम निर्गत होने के पश्चात् समस्त महाविद्यालय को प्रवेश परीक्षा परिणाम 15 दिन के अन्दर विश्वविद्यालयीय परीक्षा विभाग को प्रेषित करना होगा।

शास्त्री प्रवेश परीक्षा पाठ्यक्रम

(इण्टर मीडिएट /10+2 परीक्षा उत्तीर्ण, गैर संस्कृत (None Sanskrit) छात्रों के लिये)

पूर्णांक	-	100
समय	-	2 घण्टा
भाषा माध्यम	-	हिन्दी
प्रश्नों का प्रकार	-	अतिलघूत्तरात्मक
कुल प्रश्नों की संख्या	-	50
प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिये निर्धारित अंक	-	2
उत्तीर्णांक सामान्य वर्ग के लिये	-	50
उत्तीर्णांक आरक्षित वर्ग के लिये	-	45

इकाई	पाठ्य विषय	अंक
1.	समसामयिक जानकारीयों	20
2.	सामान्य ज्ञान -भारत के महान् शहीद, भारतीय आन्दोलन के दौरान दिये गये प्रमुख वचन व नारे, भारत की एतिहासिक लड़ाईयाँ,विश्व के प्रमुख देशों की राजधानी एवं मुद्रा,उत्तराखण्ड,संस्कृत जगत्।	20
3.	विविध संस्थाओं के ध्येय वाक्य,शब्द रूप (बालक,बालिका,गुरु,नदी),धातुरूप (पढ़,गम् लिख् भू के लट् लोट् लङ् लकारों में)	20
4.	भारतीय संविधान का सामान्य ज्ञान,वैज्ञानिक उपकरण,यन्त्रों व उपकरणों के आविष्कार, कम्प्यूटर सामान्य ज्ञान,चिकित्सा सम्बन्धी आविष्कार।	20
5.	भाषा ज्ञान-संस्कृत, हिन्दी, अंग्रेजी	20



